

कृषि एवं संबन्ध सेवाएं

07

कृषि एवं संबन्ध सेवाएं

मुख्य बिन्दु

- फसल क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में भागीदारी वर्ष 2021-22 (अग्रिम) 25,86,429 लाख अनुमानित है।
- फसल बीमा योजनांतर्गत 2021-22 खरीफ में 15,61,841 कृषकों का बीमा कराया गया तथा वर्ष 2020-21 में 6,36,278 कृषकों के दावों का भुगतान किया गया।
- राज्य में अब तक 2,805 कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।
- गोधन न्याय योजनांतर्गत गौठान समितियों के माध्यम से 6,63,682 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट, 1,80,576 क्वि. सुपर कम्पोस्ट 626 क्वि. सुपर कम्पोस्ट प्लस किसानों को विक्रय किया जा चुका है।
- वर्ष 2021-22 में 03 हाइटेक नर्सरी सार्वजनिक क्षेत्र में एवं 02 हाइटेक नर्सरी निजी क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
- राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियाँ एवं 118 उप-मंडियाँ कार्यरत हैं।
- प्रदेश में मार्च 2021 की स्थिति में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता 21.34 लाख हेक्टेयर हो गई है।
- वर्तमान में 08 वृहद, 37 मध्यम, 2,477 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 30 नलकूप योजना एवं 806 एनीकट/स्टापडेम निर्मित हैं।
- पशुधन क्षेत्र की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में (स्थिर भाव) में भागीदारी वर्ष 2021-22 (अग्रिम) 4,17,187 लाख रु है।
- राज्य में उपलब्ध 1.920 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र में से 1.812 लाख हेक्टेयर (94.38%) जलक्षेत्र मछली पालन अन्तर्गत विकसित किया जा चुका है।
- राज्य में समस्त स्रोतों से वर्ष 2020-21 में 5,77,365 मैट्रिक टन मतस्य उत्पादन किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 7.34 प्रतिशत अधिक था।

कृषि

7.1 छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवारों में से 82 प्रतिशत लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 36 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है जिसमें से सर्वाधिक 52 प्रतिशत क्षेत्र जलाशयों/नहरों के माध्यम से सिंचित है एवं 29 प्रतिशत क्षेत्र नलकूप से सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। प्रदेश की लगभग 55 प्रतिशत काश्त भूमि की जलधारण क्षमता कम होने के कारण, बिना सिंचाई साधन के दूसरी फसल लेना संभव नहीं है। राज्य निर्माण के समय, इस प्रदेश में आवश्यक संरचनायें तथा बीज प्रक्रिया केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, खाद एवं गोदाम आदि का अभाव था, इसलिए राज्य में विभिन्न फसलों की उत्पादकता, अन्य विकसित राज्यों की तुलना में कम थी। राज्य गठन के पश्चात् कृषि विकास के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा राज्य शासन के कृषकोन्मुखी योजनाओं/कार्यक्रमों के फलस्वरूप कृषि विकास की गति में तेजी आई है एवं किसानों की आर्थिक उन्नति हेतु निरंतर प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं।

परिणाम स्वरूप प्रदेश को सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन की श्रेणी में राष्ट्रीय “कृषि कर्मण” प्रथम पुरस्कार राशि रु. 5.00 करोड़ से फरवरी, 2020 में सम्मानित किया गया।

7.1.1 सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार :

कृषि विकास में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में समस्त सिंचाई स्रोत से 36% सिंचाई क्षमता है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु शाकम्भरी योजना प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त पूर्व से संचालित लघु सिंचाई नलकूप योजना में देय अनुदान राशि में वृद्धि की

तालिका 7.1 प्रमुख फसल उत्पादन (000 मे. टन)				
क्र.	फसल	2019 पूर्ति	2020 पूर्ति	वृद्धि/कमी %
खरीफ				
1	धान (चावल)	7755.32	8946.30	15
2	मक्का	664.62	576.31	-13
3	अरहर	61.43	71.66	17
4	मूंग	7.04	7.67	9
5	उड़द	49.80	56.36	13
6	मूंगफली	65.10	69.31	6
7	सोयाबीन	89.42	51.92	-42
8	तिल	12.70	13.19	4
9	रामतिल	13.14	10.46	-20
क्र.	फसल	2019-20	2020-21	वृद्धि/कमी %
रबी				
1	ग्रीष्म धान (चावल)	665.68	854.67	28
2	मक्का	311.30	313.56	1
3	गेहूं	207.28	368.27	78
4	चना	114.99	338.33	194
5	मटर	20.38	20.06	-2
6	तिवड़ा	95.83	122.72	28
7	राई-सरसों	66.06	70.86	7
8	अलसी	13.46	14.97	11
9	गन्ना	189.68	194.92	3

स्रोत:- संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

गई है। सिंचाई जल के बेहतर उपयोग एवं नगदी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई योजना अंतर्गत सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर 70 प्रतिशत (33 प्रतिशत केन्द्रांश + 37 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान दिया जा रहा है, अन्य किसानों को 50 प्रतिशत (27 प्रतिशत केन्द्रांश + 23 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान दिया जा रहा है। सिंचित क्षेत्र के विस्तार हेतु संचालित योजनाओं की उपलब्धियाँ :-

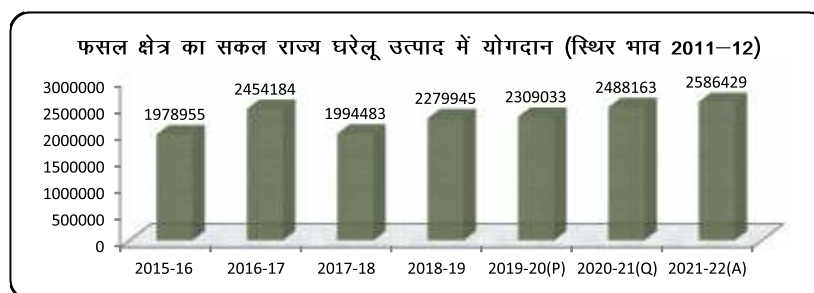
तालिका 7.2 सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना प्रगति						
क्र.	विवरण	2020-21 पूर्ति	2021-22 लक्ष्य		2021-22 पूर्ति (सितंबर 21 तक)	
			संख्या	सिंचाई क्षमता (हे.)	संख्या	सिंचाई क्षमता (हे.)
1	किसान समृद्धि योजना/लघु सिंचाई (नलकूप) योजना	1384	1388	3470	47	117.50
2	लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना	85	100	2500	74 (निर्माणाधीन)	-
3	हरित क्रांति विस्तार योजनान्तर्गत निर्मित	तालाब	2	-	-	-
		चेकडेम	74	-	-	-
4	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	चेकडेम	-	-	-	-
5	टारगेटिंग राईस फेलो एरिया	चेकडेम	29	9	-	-
6	शाकम्भरी योजना	कूप	58	75	30	-
		पंप	648	7647	3058	1377
						550

7.1.2 लघुत्तम सिंचाई :- कृषि विभाग द्वारा लघुत्तम सिंचाई तालाब योजनांतर्गत शासकीय भूमि में शत-प्रतिशत शासकीय व्यय पर 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता के तालाब निर्मित किये जाते हैं। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में किये गये कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :-

तालिका 7.3 लघुत्तम सिंचाई राशि लाख में			
क्र.	वर्ष	भौतिक पूर्ति	व्यय
1	2020-21	85	1165.98
2	2021-22 (सित. 2021 तक)	74 निर्माणाधीन	249.67

7.2 छत्तीसगढ़ राज्य में फसल क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान महत्वपूर्ण रहा जो निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 7.3 फसल क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान (स्थिर भाव 2011-12)							
विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
योगदान (लाख रु.)	1978955	2454184	1994483	2279945	2309033	2488163	2586429
वृद्धि (प्रतिशत)	-3.27	24.01	-18.73	14.31	1.28	7.76	3.95
योगदान (प्रतिशत)	10.99	12.61	9.97	10.21	9.88	10.78	10.09



► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

7.3 आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण :- प्रदेश में किसानों को उच्चगुणवत्तायुक्त, अधिक उत्पादन देने वाले प्रमाणित बीज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन द्वारा विशेष प्रयास किये गये हैं। प्रमाणित बीज का उपयोग कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि का प्रमुख आधार है। राज्य पोषित/केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण पर रु. 500 से लेकर 2,500 तक अनुदान देने का प्रावधान है।

तालिका 7.5 आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण				
क्र.	विवरण	इकाई	2020-21 पूर्ति	2021-22 पूर्ति
1	बीज उत्पादन कार्यक्रम			
	खरीफ	हेक्टेयर	31257	32500
	रबी		19155	20150
	योग (खरीफ+रबी)		50412	52650
2	प्रमाणित बीज उत्पादन			
	खरीफ	क्विं.	764703	950000
	रबी		213429	250000 प्रस्तावित
	योग (खरीफ+रबी)		978132	1200000
3	प्रमाणित बीज वितरण			
	खरीफ	क्विं.	909345	927682
	रबी		219514	293510 प्रस्तावित
	योग (खरीफ+रबी)		1128859	1221192

7.4 उर्वरक एवं जैविकखाद वितरण :- कृषि में फसल उत्पादन एवं उर्वरक क्षमता हेतु आदान-प्रदान सामग्री के रूप में मुख्यतः रासायनिक उर्वरक एवं जैव उर्वरक की आवश्यकता होती है। विगत वर्षों में उर्वरक एवं जैव उर्वरक वितरण की प्रगति निम्नानुसार है :-

तालिका 7.6 उर्वरक वितरण								
वर्ष	उर्वरक वितरण (तत्व रूप में) (000 मे.टन)				प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत (कि.ग्रा. मे)			
	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग
वर्ष 2019-20								
खरीफ पूर्ति	253339	140457	41917	435713	53	29	9	91
रबी पूर्ति	147904	69241	24657	241802	82	38	14	134
योग (खरीफ+रबी)	401243	209698	66574	677515	60	39	13	112
वर्ष 2020-21								
खरीफ पूर्ति	329105	186017	54709	569831	68	39	12	119
रबी पूर्ति	130127	67237	23329	220693	70	36	13	119
योग (खरीफ+रबी)	459232	253254	78038	790524	70	39	12	121
2021-22								
खरीफ पूर्ति (अनु.)	351077	196181	64075	611333	73	41	13	127

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

7.5 प्रधानमंत्री स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण योजना :-

- वर्ष 2020-21 में राज्य के 3,125 ग्रामों का चयन कर स्वायल हेल्थ कार्ड योजना का क्रियान्वयन किया गया योजनान्तर्गत 3,125 प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण लक्ष्य के विरुद्ध 3,125 प्रदर्शन व 2,038 प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में स्वायल हेल्थ मैनेजमेंट योजना का नाम परिवर्तित कर भूमि पोषण अभियान (BPA) रखा गया है। जो आगामी पांच वर्ष (2021-22 से 2025-26) तक क्रियान्वित की जावेगी। वर्ष 2021-22 में योजनान्तर्गत 3,104 ग्रामों में 1,78,253 मृदा नमूना, 2,190 प्रदर्शन व 3,104 प्रशिक्षण आयोजन किये जाने की कार्ययोजना भारत सरकार को प्रेषित की गई है। भारत सरकार से स्वीकृति अद्यतन अपेक्षित है।

7.6 राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा :- राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2014 से राज्य पोषित जैविक खेती मिशन एवं वर्ष 2016 से केन्द्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित है। पूर्व में योजनाओं का क्रियान्वयन 05 जिलों में शुरू किया गया। वर्तमान में इन योजनाओं का विस्तार समस्त जिलों में करते हुए 05 जिलें गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर को पूर्ण जैविक जिला एवं शेष 22 जिलों के एक-एक विकासखंड को पूर्ण जैविक बनाने हेतु कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में जैविक खेती मिशन का 7,290 एकड़ में तथा परम्परागत कृषि विकास योजना का 50,000 एकड़ में फसल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वर्ष 2021-22 में जैविक खेती मिशन का 15,000 एकड़ में तथा परंपरागत कृषि विकास योजना का 52,500 एकड़ में क्रियान्वयन कर कुल 67,500 एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

जैविक फसलें—राज्य में धान की सुगंधित किस्में—बासमती, बादशाहभोग, दुबराज, पुसा सुगंध, जवाफूल, मोतीचुर, जीराफूल, तुलसी—मंजरी, काली कमोद, लोकटीमांछी, कालीगिलास, तिलकस्तुरी (Green Rice), मक्का एवं लघु धान्य फसलें—कोदो—कुटकी, रागी, सांवा, कोसरा आदि एवं दलहन—तिलहन फसलें—अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल की जैविक खेती की जा रही है।

- FPO के गठन**— जिलों में FPO के गठन को प्रोत्साहित किया जाकर जैविक उत्पादों का विपणन किया जा रहा है।
- राज्य में जैविक ब्राण्ड**—राज्य के विभिन्न जिलों में जैविक उत्पादों का ब्रांडिंग किया जाकर विपणन किया जा रहा है।
 - चांग्रो राईस, जिला—बलरामपुर
 - बांसाझाल राईस, महामाया, जिला—सरगुजा
 - मैकल्स नेचर, जिला—कबीरधाम
 - आगर जैव उत्पाद, जिला—मुंगेली
 - आरुग जैविक, जिला—राजनांदगांव
 - रुद्र आर्गेनिक, जिला— धमतरी
 - पंचतत्व, जिला —कोंडागांव
 - आदिम ब्रांड, पंचतत्व, जिला—दंतेवाड़ा
 - बस्तर नेचुरल, जिला—बस्तर,
 - केलो ब्रांड, जिला—रायगढ़,
 - शिवनाथ आर्गेनिक, जिला—दुर्ग
 - रायपुर आर्गेनिक्स, जिला— रायपुर
 - बालोद आर्गेनिक, जिला— बालोद
 - जशपुर एग्रोफेश, जिला—जशपुर

7.7 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण, संचयन, सिंचाई स्त्रोतों के विकास, भू-जलवर्धन तथा उपलब्ध जल के दक्षतापूर्ण उपयोग की महत्वपूर्ण योजना है। योजनांतर्गत पांच वर्षों के लिए कुल राशि रु. 54,931.71 करोड़ की परियोजना स्वीकृत है जिससे प्रदेश का 25,94,284 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा सिंचित किया जाना प्रस्तावित है। विगत वर्षों में योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत किये गये कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :-

- **PMKSY-PER DROP MORE CROP (MICRO IRRIGATION)** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत जल के प्रत्येक बूंद से अधिक फसल लेने के उद्देश्य से स्प्रिंकलर/ड्रिप (टपक सिंचाई) सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका 7.7 प्रत्येक बूंद से अधिक फसल						
वर्ष	इकाई	भौतिक लक्ष्य हे.	भौतिक पूर्ति हे.	वित्तीय लक्ष्य (राशि रु. लाख में)	व्यय राशि (रु. लाख)	सिंचित क्षेत्र हे.
2018-19	हेक्टेयर	29580	18929.67	11100.21	2294.06	18929.67
2019-20		55000	27688.28	12324.10	6072.91	27688.28
2020-21		44528	18633.53	11559.62	7766.91	18633.53
2021-22		45876	-	10000.00	1198.80	-

- **PMKSY-(Per Drop More Crop-Other Intervention & IWMP)** कम सिंचाई संसाधन वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के विभिन्न कार्यों जैसे-चेकडेम, परकोलेशन टैंक, फार्म पौण्ड/डबरी, कुआ एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। विगत वर्षों में किये गये कार्यों की जानकारी :-

तालिका 7.8 पीएमकेएसवाय						
वर्ष	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक पूर्ति	वित्तीय लक्ष्य	व्यय राशि (लाख रु.)	सिंचित क्षेत्र
2018-19	संख्या	5656	1681	21470.90	10455.00	8904
2019-20		3216	1801	16302.76	14736.00	2941
2020-21		-	2536	-	9939.00	6446
2021-22		-	-	-	-	-

7.8 रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट (RAD) :- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA) के घटक रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट (RAD) का क्रियान्वयन वर्ष 2014-15 से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादकता वर्धक, टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु के अनुकूल बनाना है। योजनांतर्गत विगत वर्षों किये गये कार्यों की जानकारी :-

तालिका 7.9 रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट			
क्र.	वर्ष	भौतिक पूर्ति हे.	व्यय राशि लाख में
1	2018-19	4149.95	883.16
2	2019-20	1197.43	751.76
3	2020-21	4535.80	477.07
4	2021-22	655.00	126.16

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

7.9 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :- प्रदेश में कृषकों की फसलों के बीमा हेतु खरीफ वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई जिसमें क्षतिपूर्ति हेतु पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति की पात्रता के मापदण्ड

- बुआई नहीं हो पाने की स्थिति / बुआई का फेल हो जाना।
- फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में।
- स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति की स्थिति में।
- फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में।
- फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में।

प्रदेश में कृषकों के फसलों के बीमा हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 से संचालित की गई, विगत तीन वर्षों की प्रगति निम्नानुसार है—

तालिका 7.10 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना								
क्र.	वर्ष	मौसम	बीमित कृषक संख्या			कुल प्रीमियम (करोड़ में)	दावा भुगतान	
			ऋणी कृषक	अऋणी कृषक	योग		कृषक संख्या	राशि (करोड़ में)
1	2019-20	खरीफ	1508904	183805	1692709	163.61	509289	644.81
		रबी	130739	28976	159715	10.73	148618	619.53
		योग	1639643	212781	1852424	174.34	657907	1264.34
2	2020-21	खरीफ	1270327	125090	1395412	161.99	473148	611.70
		रबी	191058	49994	241052	17.69	163130	238.56
		योग	1461385	175084	1636194	179.68	636278	850.26
3	2021-22	खरीफ	1431461	130380	1561841	160.38	फसल कटाई प्रयोग उपरांत दावा गणना की जाएगी।	

7.10 कृषि यांत्रिकीकरण :- विभिन्न कृषि कार्यों के सुगमतापूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण कर उत्पादन में वृद्धि तथा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को किराये पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना / फार्म मशीनरी बैंक की योजना संचालित की जा रही है जिसके तहत कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु रु. 10.00 लाख तक वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य में अब तक 2,805 कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

तालिका 7.11 कृषि अभियांत्रिकी अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति										
क्र.	गतिविधियाँ	इकाई	वर्ष 2020-21				वर्ष 2021-22 (अक्टूबर 2021 तक)			
			भौतिक		वित्तीय (लाख में)		भौतिक		वित्तीय (लाख में)	
			लक्ष्य	पूर्ति	आबंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कस्टम हायरिंग योजना									
	(क) डोजिंग कार्य	घंटे	15,000	3,895	225.00	190.41	15,000	1,753	183.00	76.76
	(ख) कल्टीवेशन कार्य	घंटे	24,000	14,664			24,000	5,774		
2	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन									
	1. ट्रैक्टर	संख्या	666	666	1,350.16	1,004.23	381	241	3,593.05	1,633.51
	2. पावर टिलर/पैडी ट्रांसप्लान्टर/स्व चलित रीपर	संख्या	525	152			150	46		
	3. शक्ति चलित यंत्र	संख्या	1,882	1,246			514	168		
	4. हस्त चलित/बैल चलित कृषि यंत्रों का विवरण	संख्या	9,154	18,198			7,457	273		
3	फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना कंपों.-4 (8961)	संख्या	397	371	2,536.00	2,444.00	246	73	1,578.00	448.00
4	कृषि यांत्रिकीकरण पर सबमिशन योजनांतर्गत ग्रामीण स्तर पर उत्पादकता वृद्धि हेतु मशीनों का प्रचार-प्रसार घटक क्र.-6	संख्या	106	88	848.00	704.00	28	7	224.00	56.00
5	“फसल प्रदर्शन” योजनांतर्गत पैडी ट्रांसप्लान्टर मशीन से कृषकों के खेत में धान रोपाई पर अनुदान	संख्या	333	290.20	24.980	21.75	335	247.40	25.125	6.20

7.11 गोधन न्याय योजना :-

- जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन की कार्यवाही को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ते हुए तथा आम जन के सहयोग से सफल करने “सुराजी गांव योजना” के माध्यम से नरवा, गरुवा, घुरुवा, बाड़ी संरक्षण एवं संवर्धन का अभियान प्रारंभ किया है। सांस्कृतिक परंपरा से परिपूर्ण इस कार्यक्रम को सरकार ने अपनाते हुए इसको एक अभियान के रूप में लिया है।
- प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में हरेली के दिन 20.07.2020 को “गोधन न्याय योजना” का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत सुराजी गांव में स्थापित गौठानों के माध्यम से गौठान समितियों द्वारा 2 रु. प्रति किलो की दर से अद्यतन 28.52 लाख किंवटल गोबर 1.35 लाख पशुपालको से क्रय कर गौठान स्व-सहायता समूहों द्वारा 8,87,096 किंवटल वर्मी कम्पोस्ट,

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

3,99,731 कि. सुपर कम्पोस्ट व 14,142 कि. सुपर कम्पोस्ट प्लस का उत्पादन किया जा चुका है एवं सहकारी समितियों के माध्यम से 6,63,682 किंटल वर्मी कम्पोस्ट रु. 10 प्रति किलो, 1,80,576 कि. सुपर कम्पोस्ट रु. 6 प्रति किलो एवं 626 कि. सुपर कम्पोस्ट प्लस रु. 6.50 प्रति किलो की दर से किसानों को विक्रय किया जा चुका है।

कृषि विपणन

7.12 कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियां एवं 118 उपमंडियां कार्यरत हैं। मंडी समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषकों को शोषण से बचाना, समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

तालिका 7.12 कृषि उपज मण्डियों में आवक, आय							
विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (सित.)
आवक	टन	9938893	9239735	10690016	11586725	12964326	1813299
आय	लाख रु.	26780.70	32535.33	17045.20	49477.19	42422.27	8732.71

7.12.1 मंडियों में आवक:— राज्य में मंडियों में वर्ष 2019-2020 में 1,15,86,725 टन की आवक हुई जबकि वर्ष 2020-21 में 1,29,64,326 टन की आवक हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 13,77,601 टन अधिक है। इसी प्रकार मंडियों में वर्ष 2020-2021 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 20,08,523 टन की आवक हुई, जबकि वर्ष 2021-22 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 18,13,299 टन की आवक हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 1,95,223 टन कम है।

7.12.2 मंडियों की आय:— छत्तीसगढ़ राज्य में मंडियों में वर्ष 2019-2020 में 49,477.19 लाख रुपये की आय हुई जबकि वर्ष 2020-21 में 42,422.27 लाख रुपये की आय हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 7,054.92 लाख रुपये कम है। इसी प्रकार मंडियों में वर्ष 2020-2021 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 20,920.71 लाख रुपये की आय हुई जबकि वर्ष 2021-22 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 8,732.71 लाख रुपये की आय हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 12,188.00 लाख रुपये कम है।

7.12.3 राष्ट्रीय कृषि बाजार :- माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा देश के चयनित 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ राज्य की 14 नियमित कृषि उपज मंडियां राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने हेतु चिन्हांकित की गयी है। प्रथम चरण की मंडियों को दिनांक 19.10.2016 से राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से जोड़ा गया है तथा द्वितीय एवं तृतीय चरण की मंडियों को दिनांक 08.04.2017 से राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से जोड़ा गया है।

प्रथम चरण :- राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद, नवापारा

द्वितीय चरण:- रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर राजिम, बालोद, मुंगेली, रायगढ़

उपरोक्त मंडियों में राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल पर चिन्हांकित कृषि उपजों का ऑनलाईन कय-विक्रय प्रारंभ हो गया है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल की दिनांक 19.10.2016 से 15.11.2021 तक की प्रगति की जानकारी निम्नानुसार है :-

कुल ई-ट्रेड (मात्रा विवंटल में)	कुल कीमत (करोड़ रु. में)	पंजीकृत कृषक संख्या	पंजीकृत व्यापारी संख्या	व्यापारी सहभागिता
71,99,386.97	1,443.36	1,35,174	3,101	1,166

7.12.4 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला :- प्रदेश की 11 मंडियां क्रमशः बेमेतरा, रायगढ़, रामानुजगंज (बलरामपुर), रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुन्द, दुर्ग, राजनादगांव, बिलासपुर, सक्ती एवं बालोद में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु आवश्यक संरचनायें एवं सुविधायें, विकसित की जाकर मिट्टी परीक्षण का कार्य प्रारंभ। इसके अतिरिक्त 111 मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

7.12.5 एगमार्क नेट पोर्टल :- विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार द्वारा MRIN (Marketing Reserch and Information Network) योजनांतर्गत मंडी/उपमंडियों को कम्प्यूटर उलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप एगमार्कनेट के पोर्टल पर माह अगस्त 2006 से छ.ग. प्रदेश की 69 कृषि उपज मंडी एवं 118 उपमंडियों की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी एगमार्कनेट के पोर्टल पर नियमित रूप से प्रेषित की जा रही है।

- **एग्रीमंडी साफ्टवेयर :-** छ0ग0 राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के माध्यम से विभागीय साफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन विभागीय वेबसाइट www.agriportal.cg.nic.in में किया जा सकता है। एग्री मंडी साफ्टवेयर (मंडी-आनलाईन) में प्रदेश के कृषि उपज मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव, मासिक जानकारी तथा अन्य जानकारीयों नियमित रूप से इंद्राज की जा रही है।

7.12.6 मोबाईल एप:- मंडी एंड्राईड मोबाईल एप तैयार की गई है, जो कि वेबसाइट www.agriportal.cg.nic.in में उपलब्ध है, जिसे एंड्राईड मोबाईल में डाउनलोड कर प्रदेश के कृषि उपज मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

7.12.7 फल-सब्जी मंडी:- प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, पंखाजूर एवं रायगढ़ फल-सब्जी के विपणन हेतु सुविधायुक्त फल-सब्जी मंडियों की स्थापना की गई है। फल-सब्जी मंडी प्रांगण में उद्यानिकी फसलों के विपणन हेतु कवर्ड शेड, चबूतरे, दुकानें इत्यादि उपलब्ध हैं। बिलासपुर, रायगढ़ राजनांदगांव तथा दुर्ग फल-सब्जी मंडी का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है।

7.12.8 गौ सेवा आयोग अनुदान :- गौ शालाओं तथा वृद्ध पशुओं की देखभाल हेतु गौ सेवा आयोग को मंडी बोर्ड द्वारा अपनी सकल आय का 5 प्रतिशत की दर से वर्ष 2005 से वर्ष 2015-16 तक रुपये 38.95 करोड़ एवं वर्ष 2016-17 में 10 प्रतिशत की दर से रुपये 12.50 करोड़ एवं वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक 20 प्रतिशत की दर से रुपये 82.70 करोड़ अनुदान दिया गया है। इस प्रकार कुल 134.15 करोड़ अनुदान दिया गया है।

7.12.9 बीज उत्पादन एवं वितरण अनुदान:- मंडी बोर्ड द्वारा छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को बीज उत्पादन तथा वितरण अनुदान हेतु वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 तक रुपये 99.03 करोड़ प्रदाय किया गया है।

7.12.10 हाट बाजार निर्माण (206 कार्य स्वीकृत, लागत रु.10043.60 लाख):- ग्रामीण अंचल में कृषि उपज के विपणन हेतु हाट बाजारों में सुविधा विकसित करने हेतु 100 हाट बाजार का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष 41 हाट बाजार प्रगतिरत हैं तथा 65 हाट बाजार अनुबंध/निविदा स्तर पर हैं, प्रगतिरत हाट बाजारों का कार्य मार्च 2022 तक पूर्ण किया जाकर लघु सीमांत कृषकों को उनकी उपजों का सही मूल्य प्राप्त होने के दृष्टिकोण से विकसित किया जा रहा है।

7.12.11 किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण :- किसानों और उपभोक्ताओं के मध्य सीधा संपर्क स्थापित करने, बिचौलिया तंत्र को समाप्त करने, किसानों को उनके उत्पाद का बिना किसी कटौती के उचित मूल्य दिलाने, उपभोक्ताओं को उचित दर पर ताजी फल एवं सब्जियां प्रदाय करने और किसानों के लिए तकनीकी सूचना प्रचार-प्रसार केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 09 किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण अधिसूचित किया गया है।

किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण रायपुर (पुराना एवं नया मंडी प्रांगण) दिनांक 15.11.2019 को लोकार्पण हो चुका है, जिसमें से नया मण्डी प्रांगण में क्रय-विक्रय प्रारंभ हो गया है। इसके साथ ही किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण धमतरी में दिनांक 19.04.2017, राजनांदगांव में दिनांक 19.01.2020, बेमेतरा में दिनांक 28.03.2020 से क्रय-विक्रय प्रारंभ हो चुका है। किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण बैकुण्ठपुर में अधोसंरचनाएं/सुविधायें विकसित करने की कार्यवाही प्रगतिरत है। शेष 03 किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण क्रमशः बिलासपुर, बरमकेला, चिखली (रायगढ़) का लोकार्पण किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7.12.12 थोक फल-सब्जी मंडी पत्थलगांव एवं धमधा :- कृषि उपज मंडी समिति पत्थलगांव जिला जशपुर में फल-सब्जी मंडी की स्थापना हेतु राशि रु. 999.15 लाख से कुल 23 कार्यों की स्वीकृति है, जो कि प्रगतिरत है, माह मार्च 2021 में पूर्ण होना संभावित है। इसी प्रकार कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग की उपमंडी धमधा में फल-सब्जी मंडी स्थापना हेतु राशि रु. 1101.85 लाख से कुल 20 कार्यों की परियोजना स्वीकृत है, जो कि प्रगतिरत है, माह मई 2022 तक पूर्ण होना संभावित है।

7.12.13 माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा :- प्रदेश की कुल 16 मंडी/उपमंडी प्रांगणों की रिक्त भूमि को Monetize करने के लिए चिन्हाकित किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन द्वारा की गई घोषणा पुराने मंडी प्रांगण धमतरी में एग्रो मार्केट/सी-मार्ट का कार्य भी सम्मिलित है। धमतरी की रिक्त भूमि के Monetize हेतु फर्म Resurgent India Limited, Gurgaon, Haryana को अनुबंधित किया गया है।

पुराने मंडी प्रांगण महासमुन्द में कृषि आदान सह व्यवसायिक परिसर निर्माण हेतु राशि रु. 339.32 लाख की निविदा आमंत्रित की गई है, एवं किसान उपभोक्ता बाजार हेतु राशि रु. 205.81 लाख सक्षम स्तर पर स्वीकृत प्राप्त किया जाकर निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

7.12.14 भण्डारण क्षमता (गोदाम) :-

- प्रदेश की मंडी/उपमंडी प्रांगणों में वर्तमान में कुल 362 नग गोदाम, जिसकी क्षमता 2,50,050 मे.टन है।
- वर्तमान में मंडी समिति से प्राप्त प्रस्तावना अनुसार विभिन्न क्षमताओं के 112 गोदाम, 1,45,500 के गोदामों का कार्य प्रगतिरत है, जो कि माह मई 2022 तक पूर्ण कर लिये जाने की संभावना है।
- मंडी बोर्ड से जिला कबीरधाम अंतर्गत लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित पण्डरिया एवं जिला सूरजपुर अंतर्गत मॉ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अम्बिकापुर ग्राम केरता में पृथक-पृथक 20,000 मे.टन क्षमता के गोदाम एवं 5,000 मे. टन क्षमता के मोलासिस टैंक में प्लिथ एवं फाण्डेशन तक के कार्य हेतु कुल राशि रु. 1,099.44 लाख स्वीकृत है। उपरोक्त दोनों कार्यों हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया है, एवं वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है।

7.12.15 मंडी अधिनियम में संशोधन:-

- **निजी क्षेत्रों में मंडी की स्थापना :-** छ.ग. कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा निजी मंडी प्रांगण/निजी उपमंडी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण का प्रावधान मंडी अधिनियम की धारा 2, 5 तथा 31 में संशोधन कर तथा नवीन धारा 32 (ख), 33 (क) तथा 34 (क) अन्तःस्थापित कर किया गया। उक्त प्रावधान दिनांक 08 मई 2015 से प्रभावशील है।
- **सीधी खरीदी :-** छ.ग. कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2005 के द्वारा मंडी अधिनियम की धारा 36 तथा 37 में संशोधन किया गया है, उक्त प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 10 फरवरी 2006 से प्रवृत्त है।
- **निजी किसान उपभोक्ता बाजार :-** छ.ग. कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा निजी मंडी प्रांगण/निजी उपमंडी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण का प्रावधान मंडी अधिनियम की धारा 2, 5 तथा 31 में संशोधन कर तथा नवीन धारा 32 (ख), 33 (क) तथा 34 (क) अन्तःस्थापित कर किया गया। उक्त प्रावधान दिनांक 08 मई 2015 से प्रभावशील है।
- **संविदा खेती:-** छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम 2005 के द्वारा मंडी अधिनियम की धारा 2 में संशोधन तथा नई धारा 37 (क) जोड़ी जाकर संविदा खेती के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के विनियमन संबंधी प्रावधान किया गया है, उक्त प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 10 फरवरी 2006 से प्रवृत्त है। तदनुसार आदर्श उपविधि 2009 के उपविधि में संविदा कृषि का अनुबंध और आदर्श विशिष्टियां तथा शर्तें प्रभावशील की गई हैं।

- **ई-ट्रेडिंग :-** छ0ग0 कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क. 24 सन 1973) की धारा 36 की उपधारा (3) में “इलेक्ट्रानिक निविदा बोली” का प्रावधान है। छ0ग0 प्रदेश की 14 कृषि उपज मंडियां ई-ट्रेडिंग से जुड़ी हुई है, जहां अधिसूचित कृषि उपजों का आनलाईन क्रय-विक्रय हो रहा है। उक्त प्रावधान दिनांक 08 मई 2015 से प्रभावशील है।
- **एकल बिन्दु मंडी शुल्क :-** एकल बिन्दु मंडी शुल्क दिनांक 08 फरवरी 1990 से प्रभावशील है, और धारा 19 के अनुसार राज्य में किसी मंडी में मंडी शुल्क जमा किये जाने के पश्चात् राज्य में के एक से अधिक मंडी क्षेत्र में या उसी मंडी क्षेत्र में एक से अधिक बार पुर्नविक्रय पर मंडी फीस देय नहीं है, जो छ.ग. में अनुकूलन आदेश दिनांक से प्रभावशील है। व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता मंडी समिति में मंडी शुल्क का भुगतान कर संबंधित मंडी से अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर कृषि उपज का विक्रय प्रदेश में कहीं भी कर सकता है। क्रेता व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता द्वारा अनुज्ञा पत्र संबंधित मंडी में जमा किये जाने पर मंडी शुल्क देय नहीं है।
- **एकल लायसेंस :-** छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम 2005 के द्वारा मंडी अधिनियम में नई धारा 32-क जोड़ी जाकर, एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति का प्रावधान किया गया है, उक्त प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 10 फरवरी 2006 से प्रवृत्त है। छ.ग. कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2007 दिनांक 10 अप्रैल 2007 से प्रभावशील है।

छ0ग0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 34 व्यापारियों को एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में व्यापार करने हेतु एकल लायसेंस जारी किया गया है।
- **छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2020 :-** छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 01.06.2020 से प्रभावशील हो गया है। उक्त संशोधन अनुसार छोटा व्यापारी एक दिन में 10 क्विंटल के स्थान पर 20 क्विंटल अधिसूचित कृषि उपज का स्टॉक रख सकता है, इसके अतिरिक्त मंडी समितियों में भारसाधक अधिकारी के साथ-साथ सात से अनधिक व्यक्तियों की भारसाधक समिति की नियुक्ति के भी अधिकार संचालक विपणन को मंडी अधिनियम में दिये गये हैं।

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

7.13 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी : छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा फल, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय पौध विकास योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है। विभाग के अंतर्गत 136 उद्यान रोपणी तथा 02 सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र बाना (रायपुर) एवं राजपुर (दुर्ग) हैं।

7.13.1 राज्य पोषित योजनाएँ :—

- योजनान्तर्गत कृषक द्वारा बैंक ऋण लेने पर आम, पपीता एवं केला के रोपण पर नाबार्ड के मापदंड अनुसार 25 प्रतिशत अनुदान देय है, किन्तु जो कृषक बैंक ऋण नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें विभागीय फलोद्यान योजना के अंतर्गत केवल आम पर 25 प्रतिशत अनुदान, नाबार्ड के मापदण्डों पर दिया जाता है। वर्ष 2020-21 में वित्तीय लक्ष्य राशि रु. 335.00 लाख रखा गया एवं राशि रु. 297.26 लाख व्यय हुए। वर्ष 2020-21 में 2,955 हेक्टेयर आम पौध रोपण कार्य किया गया एवं वर्ष 2021-22 में

तालिका 7.13 विभिन्न उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता						
क्र	फसल का नाम	(रकबा)	उत्पादन (मे.टन)	(रकबा)	उत्पादन (मे.टन)	उत्पादकता 2020-21 (मे. टन प्रति हे.)
		2019-20		2020-21		
1	फल	258630	2548930	222955	2492055	11.18
2	सब्जी	525147	7158909	489271	6868126	14.04
3	मसाला	55376	354525	67756	449353	6.63
4	औषधि एवं सुगंधित फसल	8957	59172	3997	22195	5.55
5	पुष्प	13493	76219	13089	229868	17.56

योजनान्तर्गत 335.00 लाख प्रावधानित है तथा 2,576 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु आम पौध रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं माह नवम्बर 2021 तक 2,526.5 हेक्टेयर क्षेत्र में आम पौध रोपण कार्य किया गया है। इसके साथ ही बेरोजगार नवयुवकों को 10-10 दिवस का दो चरणों में टॉप वर्किंग प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। प्रशिक्षण उपरांत इन प्रशिक्षार्थियों द्वारा आम, बेर, आंवला के देशी वृक्षों को उन्नतशील किस्मों में टाप वर्किंग कार्य द्वारा परिवर्तन किये जाने पर राशि रु. 10.00 प्रति सफल परिवर्तित वृक्ष पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2020-21 में 1,19,629 एवं वर्ष 2021-22 में अद्यतन 72,408 पौधों को टापवर्किंग उपरान्त उन्नत किस्मों में परिवर्तित किया जा चुका है।

- **नदी कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन योजना :-** नदी कछार/तटीय क्षेत्रों में खेती करने वाले बी.पी.एल. एवं लघु सीमांत कृषकों को लाभान्वित करने की योजना है, जिसमें प्रति हितग्राही न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 0.40 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु लाभ देने का प्रावधान है। 0.40 हेक्टर क्षेत्र के लिए अनुमानित लागत राशि रु. 9,400.00 पर 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रु. 4,700.00 अनुदान की पात्रता होगी। वर्ष 2021-22 में राशि रु. 150.00 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 1,276.60 हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध माह नवम्बर 2021 तक अद्यतन 2,210 हेक्टेयर भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति की जा चुकी है।

- **राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना** यह योजना राज्य सरकार द्वारा सामान्य कृषकों को ड्रिप सिंचाई पर अनुदान देने के उद्देश्य से वर्ष 2013-14 से राज्य के संपूर्ण जिलों में लागू की गई है। योजनान्तर्गत अनुमानित लागत का लघु एवं सीमांत कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान एवं बड़े कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। (अधिकतम रकबा 5 हेक्टर) योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में राशि रु. 700.00 लाख एवं भौतिक 777 हेक्टेयर ड्रिप प्रतिस्थापन के विरुद्ध 383.23 हेक्टेयर की पूर्ति की गई है वित्तीय प्रगति राशि रु. 71.84 लाख रही। वर्ष 2020-21 में भौतिक लक्ष्य 777.00 हेक्टेयर हेतु राशि रुपये 700.00 लाख प्रावधानित है। वर्ष 2020-21 में माह सितम्बर 2020 अंत तक अद्यतन 75.59 हेक्टेयर की पूर्ति कर ली गई है।

- **कम्यूनिटी फेंसिंग योजना :-** उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना वर्ष 2016-17 से लागू की गई है। वर्ष 2020-21 में राशि रु. 520.00 लाख तथा 954.39 हेक्टेयर कम्यूनिटी फेंसिंग के लक्ष्य के विरुद्ध 891.85 हेक्टेयर कार्य राशि रु. 494.152 लाख व्यय कर सम्पादित किया गया। वर्ष 2021-22 में राशि रु. 520.00 लाख वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्य 954.34 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध माह नवम्बर 2021 तक 429.90 हेक्टेयर की पूर्ति की जा चुकी है।

- **सब्जी फसलों के विविधीकरण हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम-** उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना वर्ष 2017-18 से लागू की गई है। योजना अन्तर्गत मिर्च, टमाटर, अरबी एवं फुलगोभी के प्रदर्शन 0.10 हेक्टेयर हेतु शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रावधानित है। वर्ष 2020-21 में वित्तीय लक्ष्य राशि रु. 36.737 लाख एवं भौतिक 1263 प्रदर्शन का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरुद्ध भौतिक लक्ष्य की 1,193 पूर्ति की गई तथा राशि रु. 31.531 लाख व्यय हुए। वर्ष 2021-22 में वित्तीय लक्ष्य 37.992 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 1,184 प्रदर्शन निर्धारित किया गया है।

7.13.2 एकीकृत बागवानी मिशन योजना:- एकीकृत बागवानी मिशन योजना उद्यानिकी के सर्वांगीण विकास हेतु फल, पुष्प, सब्जी, जड़े तथा कंद वाली फसलों, मसालों, सुगंधित पौधों, काजू, आम आदि तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु संचालित है। योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 हेतु राशि रु. 17,818.58 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा राशि रु. 17,334.77 लाख व्यय हुए। वर्ष 2021-22 के लिए राशि रु. 14,112.64 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है। मुख्य घटकों के अंतर्गत विवरण निम्नानुसार है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

7.13.2.1 रोपण अधोसंरचना एवं विकास :-

- **हाइटेक नर्सरी :-** 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हाइटेक रोपणी की स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 100.00 लाख प्रति यूनिट है। सार्वजनिक क्षेत्रों में हाइटेक रोपणी की स्थापना पर शत-प्रतिशत अनुदान एवं निजी क्षेत्र हेतु राशि रु. 40.00 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2020-21 में 05 हाइटेक रोपणी (सार्वजनिक क्षेत्र) एवं 01 हाइटेक नर्सरी निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। वर्ष 2021-22 में 03 हाइटेक नर्सरी सार्वजनिक क्षेत्र में एवं 02 हाइटेक नर्सरी निजी क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
- **लघु नर्सरी :-** 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लघु रोपणी की स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 15.00 लाख प्रति यूनिट है। सार्वजनिक क्षेत्र में लघु रोपणी की स्थापना पर शत-प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र हेतु राशि रु. 7.50 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2020-21 में 25 लघु रोपणी की स्थापना (सार्वजनिक क्षेत्र) एवं 03 लघु नर्सरी की स्थापना (निजी क्षेत्र) की गई है तथा वर्ष 2021-22 में 04 लघु नर्सरी की स्थापना (निजी क्षेत्र) का लक्ष्य रखा गया है।
- **अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर :-** अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 10.00 लाख प्रति इकाई है। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना पर शत-प्रतिशत अनुदान देय है। वर्ष 2020-21 में 09 अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना (सार्वजनिक क्षेत्र) की गई है तथा वर्ष 2021-22 में 06 अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
- **सब्जी एवं मसाला बीजों का उत्पादन :-** ओपन पालिनेटेड क्रॉप अन्तर्गत सब्जी एवं मसाला बीजों के उत्पादन हेतु इकाई लागत रुपये 0.35 लाख प्रति हेक्टेयर है। स्थापना पर शत-प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र हेतु 0.1225 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2020-21 में 19 हेक्टेयर सार्वजनिक क्षेत्र एवं 24 हेक्टेयर निजी क्षेत्र अन्तर्गत पूर्ण किया गया तथा वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र में 25 हेक्टेयर एवं निजी क्षेत्र में 20 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है।
- **7.13.2.2 फलोद्यान विकास :-** योजनान्तर्गत आम, लीची, नींबू, केला, पपीता एवं अन्य फलोद्यान वर्ष 2020-21 में 2,909 हेक्टेयर में स्थापित किये गये तथा वर्ष 2021-22 में 3,740 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरुद्ध माह अक्टूबर 2021 तक 2,265 हेक्टेयर में क्षेत्र विस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- **7.13.2.3 सब्जी क्षेत्र विस्तार :-** योजनान्तर्गत आम, लीची, नींबू, केला, पपीता एवं अन्य फलोद्यान वर्ष 2020-21 में 6,153 हेक्टेयर में स्थापित किये गये तथा वर्ष 2021-22 में 6,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरुद्ध माह अक्टूबर 2021 तक 3,107 हेक्टेयर में क्षेत्र विस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- **7.13.2.4 पुष्प विकास योजना :-** पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 1,210 हेक्टेयर क्षेत्र में पुष्प क्षेत्र विस्तार का कार्य किया गया। वर्ष 2021-22 में 1,560 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध माह अक्टूबर 2021 तक 875.10 हेक्टेयर में क्षेत्रविस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

- **7.13.2.5 मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसल :-** योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में मसाला में 2,776 हेक्टेयर तथा औषधीय एवं सुगंधित फसल में 40 हेक्टेयर क्षेत्र विस्तार कार्य किया गया। वर्ष 2021-22 में मसाला में 3,300 हेक्टेयर एवं औषधीय एवं सुगंधित फसल में 100 हेक्टेयर का लक्ष्य के विरुद्ध माह अक्टूबर 2021 तक मसाला में 1,231.92 हेक्टेयर तथा औषधीय एवं सुगंधित फसल में 0 हेक्टेयर क्षेत्र विस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- **7.13.2.6 काजू क्षेत्र विस्तार :-** योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में 657 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार कार्य किया गया। वर्ष 2021-22 में 600 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध माह अक्टूबर 2021 तक 556.15 हेक्टेयर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- **7.13.2.7 सामुदायिक जल संसाधन स्रोतों का विकास :-** सामुदायिक सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में 26 टैंक का निर्माण एवं 134 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

7.14 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं, इस योजना का उद्देश्य कम पानी से अधिक-से-अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना हैं। इस योजना में लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों के लिए केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार का 30 प्रतिशत हिस्से से कुल 55 प्रतिशत तथा बड़े कृषकों को 45 प्रतिशत अनुदान देय होगा। शेष राशि की व्यवस्था हितग्राही स्वयं के साधन से अथवा बैंक ऋण से करता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में 3,505 हितग्राहियों को 3,757.09 हेक्टेयर में ड्रिप तथा 3,365 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर प्रतिस्थापित कर 1,439 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2021-22 में 5,000 हेक्टेयर में ड्रिप तथा 7,326 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर प्रतिस्थापन का लक्ष्य रखा गया है, माह नवम्बर 2021 अंत तक 0.41 हेक्टेयर में ड्रिप तथा 174.75 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर की पूर्ति कर ली गई है।

7.15 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, उद्यानिकी (कृषि) के समन्वित विकास हेतु योजना संचालित है। वर्ष 2020-21 में योजना क्रियान्वयन हेतु राशि रु. 1,733.17 लाख के विरुद्ध राशि रु. 1,429.58 लाख व्यय हुए। वर्ष 2020-21 में योजना अन्तर्गत फलोद्यान कार्यक्रम 157.48 हेक्टेयर, सब्जी क्षेत्र विस्तार 266 हेक्टेयर, मसाला फसल प्रदर्शन 208.42 हेक्टेयर, पुष्प 33.95 हेक्टेयर, सब्जी मिनीकीट संख्या 4,500 सब्जी पौध प्रदर्शन संख्या 384.70, 10 शेडनेट हाउस ट्यूबलर स्ट्रक्चर निर्माण। वर्ष 2021-22 में वार्षिक कार्ययोजना राशि रु. 4,751.63 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

7.16 नेशनल मिशन ऑन आइलसीड एवं आइलपाम योजना :- यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, तथा आइलसीड एवं आइलपाम तथा आलीव को बढ़ावा देने हेतु संचालित है। वर्ष 2020-21 हेतु राशि रु. 381.83 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्ष 2020-21 में 158.67 हेक्टेयर क्षेत्र में आइलपाम, 65 हेक्टेयर क्षेत्र में आलीव एवं 165 हेक्टेयर क्षेत्र में महुआ रोपण का कार्य कराया गया जिस हेतु राशि

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

रु. 201.10 लाख व्यय हुए। वर्ष 2021-22 में राशि रु. 340.24 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है, तथा 500 हेक्टेयर क्षेत्र में आइलपाम, 60 हेक्टेयर क्षेत्र में आलीव एवं 300 हेक्टेयर क्षेत्र में महुआ रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

7.17 प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (मौसम आधारित) :- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए प्रारम्भ हुई है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम कराएगी। वर्ष 2020-21 में 15,747.42 हेक्टेयर प्रक्षेत्र में लगे उद्यानिकी फसलों का बीमा किया गया तथा बीमा कंपनी को राज्यांश राशि रु. 3,642.27 लाख भुगतान किया गया है। वर्ष 2021-22 में राज्य बजट में राज्यांश राशि रु. 3,100.00 लाख प्रावधानित है।

7.18 एनएमएसए नेशनल मिशन ऑन एग्रो फारेस्ट्री :- यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है कृषि एवं वानिकी की तकनीकों का मिश्रण करके विविधतापूर्ण, लाभप्रद, स्वस्थ एवं टिकाऊ भूमि उपयोग सुनिश्चित किये जाने हेतु योजना संचालित है। वर्ष 2020-21 हेतु राशि रु. 166.66 लाख एवं 2019-20 के शेष राशि 166.71 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा वर्ष 2020-21 में योजनांतर्गत 04 छोटी नर्सरी, 02 बड़ी नर्सरी एवं 01 हाईटेक नर्सरी, 709 हेक्टेयर परिधीय/बाउण्ड्री वानिकी पौध रोपण तथा 49 हेक्टेयर सघन वानिकी पौध ब्लाक वृक्षारोपण का कार्य सम्पादित किया गया तथा राशि रु. 289.729 लाख व्यय हुए। योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 में राशि रु. 241.50 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

7.19 एनएमएसए अन्तर्गत पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन :- यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है। योजना का उद्देश्य कृषकों के अतिरिक्त आय हेतु गैर-वन सरकारी एवं निजी भूमि में बांस का क्षेत्र विस्तार कर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना एवं कृषकों के प्रक्षेत्र में उत्पादित बांस के बेहतर मूल्य हेतु मूल्य संवर्धन के कार्य तथा उत्पादित बांस को लम्बे समय तक सुरक्षित रखने हेतु प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है साथ ही बांस के विभिन्न मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाने हेतु कारीगरों को नवीन तकनीक का प्रशिक्षण एवं बांस के बाय प्रोडक्ट बनाने वाले कारीगरों को नवीन मशीन उपकरण हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। वर्ष 2020-21 हेतु राशि रु. 633.34 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ तथा योजनांतर्गत 1,137.50 हेक्टेयर बांस रोपण क्षेत्र विस्तार कार्य सम्पादित किया गया एवं राशि रु. 503.84 लाख व्यय हुए। वर्ष 2021-22 में राशि रु. 553.32 लाख की वार्षिक कार्ययोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। स्वीकृति अपेक्षित है।

जल संसाधन

7.20.1 भौगोलिक विवरण एवं उपलब्ध जल :- छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 137.90 लाख हेक्टेयर है, राज्य में कुछ वृष्टिछाया प्रभावित खण्डों को छोड़कर अधिकतम भाग जल संसाधन से सम्पन्न हैं।

प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से सतही जल की मात्रा 48,296 मि.घ.मी. है, जिसमें से 41,720 मि.घ.मी. जल उपयोग में लाया जा सकता है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल की मात्रा 11,630 मि.घ.मी. है। अभी तक भूगर्भीय जल का लगभग 44% उपयोग में लाया जा रहा है। प्रदेश के कुल 146 विकासखण्ड में से 110 विकासखण्ड भू-जल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी तथा 27 विकासखण्ड आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में हैं। 09 विकासखण्ड संकटपूर्ण श्रेणी में आंकलित हैं।

7.20.2 सृजित सिंचाई क्षमता :- सिंचाई के मुख्य साधन जलाशय, व्यपवर्तन, एनीकट/स्टॉपडेम एवं नलकूप आदि हैं। राज्य गठन के समय प्रदेश में निर्मित 03 वृहद, 29 मध्यम एवं 1,945 लघु सिंचाई योजनाओं से कुल 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित थी, जो वर्तमान में (मार्च 2021 तक) 21.34 लाख हेक्टेयर हो गई है। इस तरह राज्य निर्माण के पश्चात कुल 8.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई। वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत 38.45 हो गया है। आगामी वर्षों में राज्य के कुल बोये गये क्षेत्र का 75 प्रतिशत अर्थात् करीब 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सतही जल से सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है।

7.20.3 निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाएं :- वर्तमान में 08 वृहद, 37 मध्यम, 2,477 लघु सिंचाईयोजनाएं तथा 30 नलकूप योजना एवं 806 एनीकट/स्टॉपडेम निर्मित हैं। जबकि 04 वृहद, 01 मध्यम एवं 333 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 01 नलकूप योजना एवं 161 एनीकट/स्टॉपडेम निर्माणाधीन हैं।

7.20.3.1 वृहद निर्माणाधीन परियोजनाएं :-

- **अरपा भैंसाझार परियोजना :-** यह योजना बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा के अंतर्गत कोटा विकासखण्ड में ग्राम-भैंसाझार के समीप अरपा नदी पर स्थित है। परियोजना की वर्तमान लागत रु. 1,141.90 करोड़ है। योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना से बिलासपुर जिले के कोटा, बिल्हा एवं तखतपुर विकासखण्डों के अंतर्गत 102 ग्राम लाभान्वित होंगे। इस योजना के पूर्ण होने से लगभग 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। इससे जून 2021 तक लगभग 12,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। योजना जून 2022 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

- **राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन :-** राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना के प्रथम चरण में 2000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। योजना के द्वितीय चरण में 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई हेतु लगभग 70 कि.मी. लंबाई की मुख्य नहर के निर्माण हेतु रु. 114.45 करोड़ की अनुरक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

7.20.4 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रदेश की प्रमुख 03 योजनाएं यथा केलो वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना एवं मनियारी सिंचाई परियोजना शामिल की गई हैं। केलो परियोजना, खारंग एवं मनियारी जलाशय में क्रमशः 22,810 हेक्टेयर, 8,300 हेक्टेयर तथा 11,515 हेक्टेयर क्षेत्र CADWM के कार्य प्रस्तावित हैं जिनकी लागत क्रमशः रु. 81.41 करोड़, रु. 32.97 करोड़ तथा रु. 45.89 करोड़ है।

7.20.5 सूक्ष्म सिंचाई एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना :- प्रदेश की विभिन्न नदियों/नालों पर विभाग द्वारा एनीकट एवं व्यपवर्तन योजनाएं निर्मित की गई हैं। उपलब्ध जल के समुचित उपयोग किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये सूक्ष्म सिंचाई एवं सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन की कार्य योजना बनायी गई है। विभाग में निर्मित एनीकट में से वर्ष 2021-22 तक प्रस्तावित 79 सूक्ष्म एवं 53 सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना कुल 132 योजनाओं में से 14 सूक्ष्म एवं 19 सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना कुल 33 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है एवं 14 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2021-22 में उक्त कार्य हेतु रु. 145.00 लाख का बजट प्रावधान है। इन 33 स्वीकृत योजनाओं (सूक्ष्म सिंचाई योजना 14 तथा सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना 19) से 10,587 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी।

7.21 मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना:- मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना एक बहुउद्देशीय वृहद सिंचाई परियोजना है, जो हसदेव नदी पर कोरबा जिले के बांगो ग्राम के पास निर्मित है। बांध के 42 कि.मी. नीचे कोरबा के पास बैराज का निर्माण किया गया है। वर्तमान में बांध का शत-प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना से कोरबा, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ जिले के दायीं तट एवं बाँयी तट नहर से कुल 919 ग्राम सिंचाई सुविधा से लाभान्वित हैं। परियोजना की निर्मित सिंचाई क्षमता 2,47,400 हेक्टेयर खरीफ एवं 1,73,180 हेक्टेयर रबी कुल 4,20,580 हेक्टेयर है। परियोजना अंतर्गत कोरबा जिले की 5,969 हेक्टेयर, जांजगीर-चांपा जिले के 2,29,520 हेक्टेयर तथा रायगढ़ जिले के 11,911 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ उपलब्ध कराना निर्धारित है। योजना से वर्ष 2007 से ही पूर्ण सिंचाई क्षमता 4,20,580 हेक्टेयर निर्मित की जा चुकी है। बांगो जलाशय से औद्योगिक जल प्रदाय हेतु 313.392 मि.घ.मी. वार्षिक तथा कोरबा नगर निगम को पेयजल हेतु 14 मि.घ.मी. वार्षिक जल प्रदाय किया जाना प्रावधानित है।

वर्ष 2020-21 में बांगो परियोजना से खरीफ सिंचाई हेतु 2,47,400 हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य के विरुद्ध खरीफ प्रतिवेदन के अनुसार 2,36,083 हेक्टेयर भूमि में खरीफ सिंचाई एवं 28,652 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी, कुल 2,64,735 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई थी। वर्ष 2021-22 में खरीफ सिंचाई हेतु 2,47,400 हेक्टेयर क्षेत्र में लक्ष्य के विरुद्ध अंतरिम खरीफ प्रतिवेदन के अनुसार 2,38,084 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई की गई है।

7.22 केलो परियोजना:- केलो परियोजना रायगढ़ शहर से 8 कि.मी. की दूरी पर रायगढ़-अम्बिकापुर राजमार्ग पर ग्राम दनौट में केलो नदी पर प्रस्तावित है। इस बांध के निर्माण से रायगढ़ एवं

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

जांजगीर-चांपा जिले (रायगढ़, खरसिया, सरिया एवं चंद्रपुर विधान सभा क्षेत्र) के 175 ग्रामों की 24,396 हेक्टेयर भूमि में से 22,810 हेक्टेयर खरीफ की सिंचाई सुविधा के साथ-साथ रायगढ़ शहर को पेयजल हेतु 4.44 मि.घ.मी. तथा परियोजना से औद्योगिक उपयोग हेतु 4.44 मि.घ.मी. वार्षिक जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिसे दिनांक 30.06.2022 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

केलो परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 22,810 हेक्टेयर है। जून 2021 तक 17,105 हेक्टेयर तथा शेष 5705 हेक्टेयर मार्च 2022 तक निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष 2021 में खरीफ सिंचाई हेतु रायगढ़ जिले में 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ट्रायल रन पर प्रस्तावित जलप्रदाय लक्ष्य के विरुद्ध 4,673 हेक्टेयर क्षेत्र में अंतरिम सिंचाई की गई। केलो परियोजना शीर्ष एवं नहर कार्यों की भौतिक प्रगति क्रमशः 99% एवं 80.50% माह सितम्बर/2021 तक प्राप्त की जा चुकी है। परियोजना की पुनःपुनरीक्षित लागत रु. 891.01 करोड़ के विरुद्ध सितम्बर 2021 तक कुल राशि रु. 828.55 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं।

7.23 शिवरीनारायण बैराज का निर्माण :- इस संरचना अंतर्गत महानदी पर शिवरीनारायण बैराज जिसकी लागत रु. 162.43 करोड़ है का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सितंबर 2021 तक लागत के विरुद्ध राशि रु. 153.97 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं। इस बैराज के निर्माण पश्चात् संग्रहित उपलब्ध जल से 690 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वयं के साधन से सिंचाई के साथ-साथ औद्योगिक संस्थानों को उपयोग हेतु जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

तालिका क.7.14 शिवरीनारायण बैराज					
क्र	संस्थान के नाम	स्वीकृत जल की कुल मात्रा वार्षिक (मिघमी)	संस्थान हेतु ग्रीष्मकालीन आरक्षित जल संग्रहण (मिघमी)	आफटेक पाईट	अभियुक्ति
शिवरीनारायण बैराज :-					प्रस्तावित जल संग्रहण मात्रा
औद्योगिक संस्थानों को आबटित जल					37.00
1	कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (1600 मे.वा.)	52.00	17.55	शिवरीनारायण बैराज	—
2	के.एस.के. महानदी पॉवर कंपनी लिमिटेड (वर्धा पॉवर) (1850 मे.वा.)	100.00	10.00	बसंतपुर बैराज	संस्थान को 34.00 मि.घ.मी. अतिरिक्त जल मानसून अवधि (जुलाई से सितंबर) तथा मानसून पश्चात् अवधि (अक्टूबर से दिसंबर) में आबटित किया जाना प्रस्तावित है।
योग :-		152.00	27.55		
पेयजल हेतु आबटित जल					
3	टुण्ड्रा आवर्धन जल प्रदाय योजना	0.748	0.187	शिवरीनारायण बैराज	—
योग :-		0.748	0.187		

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

7.24 साराडीह बैराज:— इस संरचना अंतर्गत महानदी पर साराडीह बैराज जिसकी पुनरीक्षित लागत रु. 640.21 करोड़ है, का निर्माण कार्य वर्तमान में लगभग 99 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। सितंबर 2021 तक लागत के विरुद्ध राशि रु. 557.44 करोड़ व्यय की जा चुकी है। इस बैराज के निर्माण पश्चात् संग्रहित उपलब्ध जल से 333 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वयं के साधन से सिंचाई के साथ-साथ औद्योगिक संस्थानों के उपयोग हेतु जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस बैराज से निम्नानुसार औद्योगिक संस्थानों को तथा पेयजल हेतु जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है :—

तालिका क.7.15 साराडीह बरॉज					
क्र.	संस्थान के नाम	स्वीकृत जल की कुल मात्रा वार्षिक (मिघमी)	संस्थान हेतु ग्रीष्मकालीन आरक्षित जल संग्रहण (मिघमी)	ऑफटेक पाईट	अभियुक्ति
साराडीह बैराज :- प्रस्तावित जल संग्रहण मात्रा					54.24
1	इण्ड भारत एनर्जी लिमिटेड, हैदराबाद (600 मे.वा.)	20.00	4.50	साराडीह बरॉज	—
2	वीसा पॉवर लिमिटेड, कोलकाता (1200 मे.वा.)	35.00	7.87	साराडीह बैराज	—
3	बी.ई.सी. पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, मुंबई (505 मे.वा.)	14.50	3.26	साराडीह बरॉज	
4	(अ) एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायपुर (600 मे.वा.)	12.00	4.05	साराडीह बरॉज	—
	(ब) एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायपुर (अतिरिक्त 600 मे.वा.)			साराडीह बरॉज	
5	(अ) आर.के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नई (1200 मे.वा.)	35.00	7.88	साराडीह बैराज	—
	(ब) आर.के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नई (अतिरिक्त 200 मे.वा.)	9.83	2.21	साराडीह बैराज	
6	(अ) एन.टी.पी.सी. लारा (4000 मे.वा.के प्रथम चरण 1600 मे.वा. हेतु)	45.00	15.18	साराडीह बैराज	
	(ब) एन.टी.पी.सी. लारा (4000 मे.वा.के द्वितीय चरण 2400 मे.वा. हेतु)	68.00	3.81	साराडीह बैराज	
योग :-		239.33	48.76		
पेयजल हेतु आबंटित जल					
1	सारंगढ़ आवर्धन जल प्रदाय योजना	2.19	0.55	साराडीह बैराज	
2	डभरा आवर्धन जल प्रदाय योजना	1.00	0.25	साराडीह बैराज	
योग :-		3.19	0.80		

साराडीह बैराज से उक्त संस्थानों में से वर्तमान में 03 संस्थानों यथा मेसर्स एस.के.एस. पावर लि., आर.के.एम. जेन पावर लि. एवं एन.टी.पी.सी. लारा द्वारा क्रमशः 12.00 मि.घ.मी. वार्षिक, 11.20 मि.घ.मी. वार्षिक तथा 45.00 मि.घ.मी. वार्षिक, कुल 68.20 मि.घ.मी. अनुबंध करने के पश्चात् जल आहरण किया जा रहा है।

7.25 एनीकट:— वर्तमान में संरचनाधीन स्वीकृत 45 एनीकटों में से अप्रैल 2021 तक 28 एनीकट निर्मित हैं, जिसमें से लेपरा एनीकट औद्योगिक प्रयोजन हेतु निर्मित है तथा 17 एनीकट निर्माणाधीन हैं। जल संवर्धन एवं निस्तारी हेतु निर्मित एनीकटों से स्वयं के साधन से किसानों को 4,746 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जा रहा है।

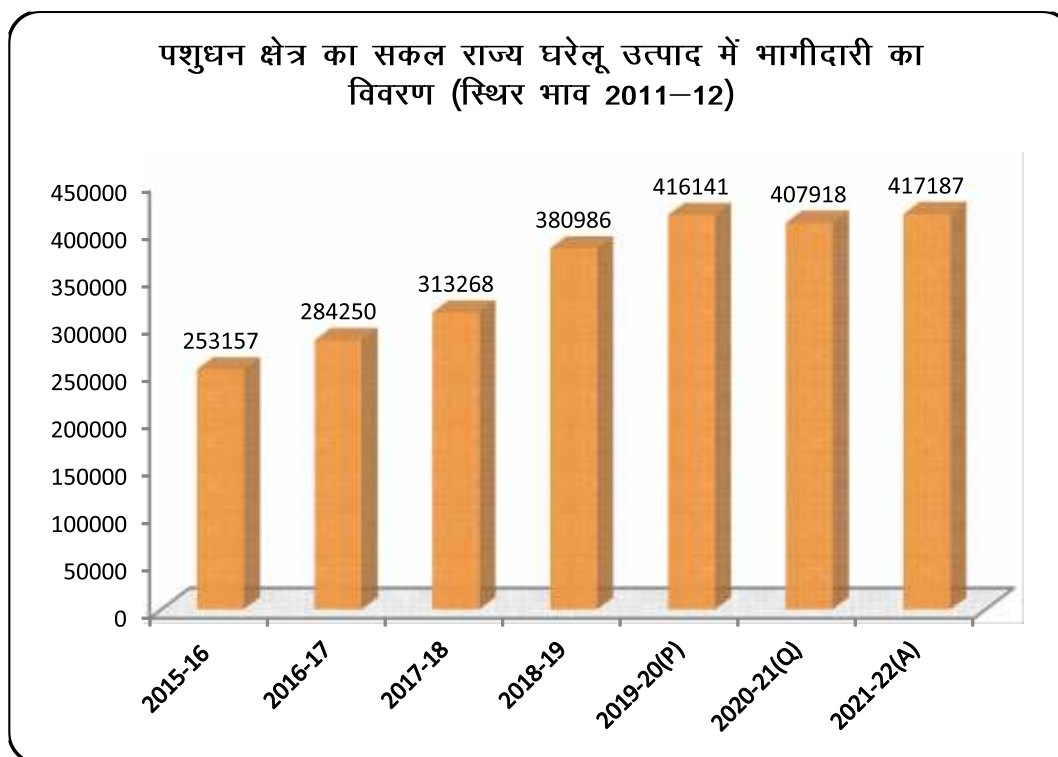
► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

7.26 नरवा कार्यक्रम :- वर्तमान में नरवा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला सुकमा, कोण्डागांव एवं कोरबा में 224 नाला कार्य स्वीकृत हैं। जिसमें 64 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं तथा 157 कार्य प्रगति पर है एवं 03 कार्य अप्रारंभ हैं। शेष जिलों में इन योजनाओं का क्रियान्वयन जल संसाधन विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जा रहा है।

पशुधन

छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। पशु संगणना 2019 के अनुसार प्रदेश में 1.59 करोड़ पशुधन तथा 1.87 करोड़ कुक्कुट एवं बतख पक्षीधन है। देशी नस्ल के पशुओं की दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की दृष्टि से पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान एवं उन्नत नस्ल के सांडों से प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अन्य विभागीय कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :-

तालिका 7.12 पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011-12)							
विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
योगदान (लाख रु.)	253157	284250	313268	380986	416141	407918	417187
वृद्धि (प्रतिशत)	3.21	12.28	10.21	21.62	9.23	-1.98	2.27
योगदान (प्रतिशत)	1.41	1.46	1.57	1.71	1.78	1.77	1.63



7.27.1 गौवंशीय एवं भैसवंशीय पशु विकास :- पशु संगणना 2019 के अनुसार गौवंशीय प्रजनन योग्य पशु 32.99 लाख एवं भैसवंशीय प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या 36.61 लाख है। राज्य में वर्ष 2021-2022 की अवधि में पशुओं में उन्नत प्रजनन सुविधा हेतु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की संख्या 22, हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र की संख्या 248, पशु चिकित्सालय 341, पशु औषधालय 829, मुख्य ग्राम खण्ड 10, मुख्य ग्राम खण्ड इकाई 99 कार्यरत हैं। उपरोक्त संस्थाओं द्वारा वर्ष 2020-21 में 5.95 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आलोच्य अवधि में कृत्रिम गर्भाधान से 1.95 लाख वत्सोत्पादन हुआ। तथा 19.68 लाख पशुओं का उपचार, 25.16 लाख पशुओं को औषधि प्रदाय, 3.31 लाख पशुओं में बधियाकरण, 180.909 लाख पशुओं में टीकाकरण एवं 43.56 लाख कुक्कुट पक्षी का टीकाकरण कार्य किया गया है।

वर्ष 2021-2022 में सितम्बर 2021 तक 1.54 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई। जिससे 0.76 लाख कृत्रिम गर्भाधान से वत्सोत्पादन हुआ। 9.12 लाख पशुओं का उपचार, 12.03 लाख पशुओं को औषधि प्रदाय, 0.34 लाख पशुओं में बधियाकरण, 18.63 लाख पशुओं में टीकाकरण एवं 13.75 लाख कुक्कुट पक्षी का टीकाकरण कार्य किया गया है।

7.27.2 बकरी विकास :- प्रदेश में वर्ष 2019 की पशु संगणना के अनुसार 40.05 लाख बकरे-बकरियाँ हैं। प्रदेश में कार्यरत प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत अधिक उत्पादन वाली नस्लों का प्रजनन किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थानीय बकरियों के नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के ग्रेडेड नस्ल का बकरा विभागीय व्यक्तिमूलक योजना में (विशेष घटक योजनांतर्गत) अनुसूचित जाति वर्ग के एवं (आदिवासी उपयोजनांतर्गत) अनुसूचित जनजाति वर्ग के तथा सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को अनुदान पर प्रजनन योग्य बकरों का वितरण किया जाता है। वर्ष 2020-21 में योजनांतर्गत राशि रु. 76.00 लाख में से राशि रु 75.74 लाख व्यय कर कुल 1965 बकरों का वितरण किया गया। वर्ष 2021-22 में योजनांतर्गत माह सितम्बर 2021 तक राशि रु 76.00 लाख में से राशि रु 34.82 लाख व्यय कर 188 बकरों का वितरण किया गया।

प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु दो नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना ग्राम सरोरा जिला रायपुर तथा रामपुर (ठाठापुर) जिला कबीरधाम में की गई है।

7.27.3 सूकर विकास :- वर्ष 2019 की पशु संगणना के अनुसार राज्य में 5.27 लाख सूकर हैं। सूकर नस्ल सुधार हेतु चयनित सूकर पालकों को वर्ष 2020 -21 में अनुदान पर सूकरत्रयी (2 मादा + 1 नर सूकर) वितरण हेतु राशि रु. 88.92 लाख आबंटन अन्तर्गत लक्षित 988 सूकरत्रयी के विरुद्ध राशि रु. 88.81 लाख व्यय कर 986 सूकरत्रयी प्रदाय किया गया एवं अनुदान पर नर सूकर वितरण हेतु राशि रु. 3.50 लाख आबंटन अन्तर्गत लक्षित 100 नर सूकर के विरुद्ध राशि रु 2.66 लाख व्यय कर 76 नर सूकर अनुदान पर प्रदाय कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2021-22 में अनुदान पर सूकरत्रयी योजना से राशि रु 89.00 लाख अनुदान अन्तर्गत 988 इकाई लक्ष्य के विरुद्ध राशि रु 52.60 लाख व्यय कर 144 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

प्रदेश में सूकर पालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु सकालो जिला अम्बिकापुर एवं परचनपाल जिला जगदलपुर में सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित है। जिसमें लार्ज व्हाइटयार्कशायर, रशियन चरमुखा नस्ल के सुकरों का प्रजनन किया जा रहा है। एक नवीन सूकर पालन प्रक्षेत्र की स्थापना कुनकुरी जिला जशपुर में प्रगति पर है।

7.27.4 शत-प्रतिशत अनुदान पर सांडों का प्रदाय :- प्रदेश में वर्ष 2006-07 से पशु नस्ल के

उन्नयन हेतु ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन्नत प्रगतिशील किसान/गौसेवक को शत-प्रतिशत अनुदान पर सांडों का प्रदाय करने की योजना प्रारंभ की गयी हैं। वर्ष 2020-21 में शत-प्रतिशत अनुदान पर सांड वितरण हेतु कुल राशि रु. 73.95 लाख आबंटन अन्तर्गत लक्षित 1212 सांडों का वितरण किया गया हैं। वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर 2021 तक राशि रु. 75.25 लाख में से राशि रु. 36.73 लाख व्यय कर 43 सांडों का वितरण किया गया है, शेष सांडों के वितरण कार्य प्रगति पर हैं।

तालिका 7.17	
चिकित्सालय	संख्या
पशु चिकित्सालय	341
पशु औषधालय	829
चलित पशु चिकित्सा इकाई	27
पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला	16
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	22
कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	248
एम्बुलेट्री क्लीनिक	08
मोटर सायकल यूनिट	20
मुख्य ग्राम खण्ड	10
मुख्य ग्राम खण्ड इकाई	99

7.27.5 कुक्कुट विकास :- प्रदेश में पशु संगणना 2019 के अनुसार कुल 187.12 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी हैं। प्रदेश में 7 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं 2 बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित हैं। इन प्रक्षेत्रों पर उत्पादित रंगीन चूजों का वितरण बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजनांतर्गत आहार एवं औषधि सहित घर तक परिवहन पश्चात् सभी वर्ग के हितग्राहियों को प्रदाय किया जाता हैं। योजनांतर्गत कुक्कुट चूजों के अलावा बतख एवं बटेर चूजों का भी प्रदाय किया जाता हैं। वर्ष 2020-21 में बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजनांतर्गत राशि रु. 517.00 लाख आबंटन अंतर्गत राशि रु. 516.98 लाख व्यय कर कुल 19,977 हितग्राहियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर 2021 तक राशि रु. 517.00 लाख आबंटन अंतर्गत राशि रु. 318.12 लाख व्यय कर 1,652 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान शेष बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों का वितरण शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों से एवं अन्य शासकीय संस्थानों से किया जा रहा है।

7.27.6 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि :- वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत राशि रु. 6928.87 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है, जिसके अन्तर्गत रु. 3,895.97 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है एवं सितम्बर 2020 तक राशि रु. 3,811.16 लाख व्यय किया गया है।

वर्ष 2021-2022 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत राशि रु. 6,842.39 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है, उक्त स्वीकृत राशि का आबंटन शासन स्तर से प्रक्रियाधीन है।

7.27.7 प्रायवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना :- राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा अनुसार राष्ट्रीय गौवंशीय, भैसवंशीय परियोजनान्तर्गत प्रत्येक 1,200 पशुओं पर एक कृत्रिम गर्भाधान इकाई की आवश्यकतानुरूप, स्वरोजगारोन्मुखी प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें प्रशिक्षित गौ सेवकों, स्थानीय बेरोजगार को एक माह का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक तथा 3 माह का क्षेत्रीय/प्रशिक्षण देकर कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कराया जा रहा है।

वर्ष 2020-2021 तक कुल 2,051 प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता/मैत्री प्रशिक्षित कर पंजीयन किया गया है, जिसमें 912 कार्यरत हैं। इन्हें निःशुल्क औजार, उपकरण प्रदाय कर नियमित रूप से तरल नत्रजन एवं स्ट्रा प्रदाय की व्यवस्था नजदीकी विभागीय संस्था के माध्यम से की जा रही है तथा प्रत्येक वत्सोत्पादन पर 04 चरणों में रु. 1,200 मानदेय देने का प्रावधान है।

7.27.8 पशुधन मित्र योजना— पशुधन मित्र (गौसेवक/प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता, मैत्री) को जीविकोपार्जन एवं वार्ड में रुचि की निरन्तरता बनाने हेतु पशुओं में टीकाकरण, शिविर आयोजन में भाग लेने हेतु प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। वर्ष 2020-21 में योजनांतर्गत राशि रुपये 333.00 लाख के आबंटन से राशि रुपये 329.61 लाख का मानदेय दिया गया। इसी तरह वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर 2021 तक राशि रुपये 330.00 लाख के आबंटन से रिक्त राशि रुपये 92.04 लाख का मानदेय पशुधन मित्रों को दिया गया।

7.27.9 ग्रामोत्थान योजना :- राज्य में पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषको की आमदनी में वृद्धि करने तथा कृषि कार्यों के लिये उन्नत नस्ल के सक्षम व ताकतवर पशुओं के विकास करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कई पशु नस्ल सुधार योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये पशु पालकों सहित गरीब चरवाहों को भी पशुधन विकास और पशुओं पर आधारित आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से ग्रामोत्थान योजना प्रारंभ किया गया है। योजना प्रारंभ से अब तक कुल 15,709 चरवाहों का पंजीयन किया गया है। योजना का उद्देश्य पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान हेतु आवश्यक सूचना तंत्र के सुदृढीकरण के लिये, चरवाहों को पशुपालन विभाग की आवश्यक कड़ी के रूप में जोड़ना है। वर्ष 2020-21 में ग्रामोत्थान योजना हेतु राशि रु. 20.00 लाख राज्य आयोजना मद से प्रोत्साहन राशि रु. 15/- प्रति कृत्रिम गर्भाधान एवं 15/- प्रति बधियाकरण कार्य में सहयोग हेतु चरवाहों को कुल 1,03,907 कृत्रिम गर्भाधान/बधियाकरण में राशि रु. 15.59 लाख प्रदाय किया गया है।

वर्ष 2021-22 में कुल 0.33 लाख कृत्रिम गर्भाधान/बधियाकरण कार्य का लक्ष्य के विरुद्ध रु. 5.00 लाख प्रावधानित है। सितम्बर 2021 तक 1.57 लाख खर्च किया गया है।

7.27.10 छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण :- छत्तीसगढ़ राज्य में पशु संवर्धन की राष्ट्रीय गौवंशीय-भैसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना के संचालन व नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना जून, 2001 में की गई है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन वर्ष 2018-19 में राशि 1,920.60 लाख एवं वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 101.25 लाख प्राप्त हुआ है

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में किया जा रहा है। परियोजनान्तर्गत मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार है :-

- घर पहुंच सेवा सुनिश्चित करने हेतु 1,504 अचल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों का चल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों में परिवर्तन।
- कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु आवश्यक तरल नत्रजन प्रदाय एवं भण्डारण व्यवस्था का सुदृढीकरण अन्तर्गत 1179 B.A.-3, 590 T.A-55, 75 J-12 जिलों को एवं 1 O.M.R. केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय अंजोरा दुर्ग को प्रदाय किया गया है एवं 6,000 लीटर क्षमता के 4 तरल नत्रजन टैंकर क्रय किया गया है।
- गुणवत्ता परीक्षण उपरांत हिमीकृत वीर्य प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये वीर्य संग्रहालयों का सुदृढीकरण अन्तर्गत 04 मुरा एवं 03 साहिवाल HGM सांड PLDB पंजाब से एवं 02 जर्सी तथा 02 CBHF HGM सांड ULDB उत्तराखण्ड 02 CBHF HGM सांड एवं दो गीर खेडा, तथा 05 HF Bulls (Imported from Germany), Chennai से क्रय कर केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय अंजोरा दुर्ग लाया गया है।
- वर्ष 2019-20 में 300 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं (मैत्री) को प्रशिक्षण व सामग्री प्रदाय एवं ए.आई. क्षेत्र विस्तार तथा रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रदाय किया जा रहा है।
- वर्ष 2020-21 हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनांतर्गत 2,599.35 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसमें से राशि रु 101.25 लाख भारत सरकार द्वारा 125 मैत्री प्रशिक्षण हेतु बंटन प्राप्त हुआ है। कोविड 19 संक्रमण के कारण मैत्री प्रशिक्षण का कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनांतर्गत ग्राम झालम जिला बेमेतरा में संस्थागत गोकुल ग्राम की स्थापना हेतु वर्ष 2020-21 में राशि रु. 657.00 लाख छ.ग. राज्य गौ सेवा आयोग को प्रदाय किया गया है तथा ग्राम नगोई जिला बिलासपुर में सांड माता प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु राशि रु. 454.60 लाख संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें बिलासपुर को प्रदाय किया गया है, जिससे घटकवार सुदृढीकरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है।
- मानव संसाधन विकास हेतु विभागीय व गैर विभागीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को राज्य व राज्य के बाहर प्रशिक्षण के फलस्वरूप प्रतिवर्ष संकर/उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की संख्या में वृद्धि हो रही है। परिणामस्वरूप राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो रही है।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक एफ. एम. डी. एवं ब्रुसेलासिस रोग के नियंत्रण तथा वर्ष 2030 तक इन रोगों का देश से उन्मुलन करने के लक्ष्य के साथ केन्द्रीय योजना नेशनल

एनीमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम (NADCP) फॉर एफ.एम.डी. सी.पी. एवं ब्रुसेलासिस सी.पी. का शुभारंभ वर्ष 2019-20 में किया गया। NADCP योजना के राज्य में क्रियान्वयन हेतु छ.ग. राज्य पशुधन विकास अभिकरण को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया तथा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में 1,939.32 लाख एवं वर्ष 2020-21 में 785.21 लाख आबंटन प्रदान किया गया जिसके अंतर्गत 73,75,500 इयर टैग 7,710 इयर टैग एप्लीकेटर 1,12,969,000 पशु स्वास्थ्य पत्र, 24,80,352 पशुओं के टैगिंग कर पारिश्रमिक, 1,60,32,300 सीरिज एवं निडिल, 9 मॉड्यूलर कोल्ड रूम, 39, आईसलाइन्ड रेफ्रिजरेटर, 529 रेफ्रिजरेटर 315 लीटर, 1,269 वैक्सीन कैरियर एवं 37,24,941 पशुओं के टीकाकरण हेतु पारिश्रमिक जिलों को प्रदाय किया गया है।

वर्ष 2020-21 हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अन्तर्गत 4,418.63 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

7.27.11 पशुरोग नियंत्रण परियोजना (एस्काड):— केन्द्र प्रवर्तित योजना लाइवस्टॉक हेल्थ एण्ड डिजीज कंट्रोल अन्तर्गत एस्काड संचालित है जिसके अंतर्गत प्रमुख रोगों के प्रतिबंधात्मक टीकाकरण, पशुउपचार शिविर, प्रशिक्षण, कार्यशाला का आयोजन, पशु पालकों/किसानों के मध्य पशु पालन से संबंधित प्रचार-प्रसार कार्य, अनुसंधान एवं प्रयोगशालाओं का उन्नयन/सुदृढीकरण किया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में राशि रु. 654.26 लाख व्यय कर 138.02 लाख पशुओं में टीकाकरण किया गया। योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में राशि रु. 1,190.51 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है।

7.27.12 राष्ट्रीय ब्रुसलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम (NCPB):— योजनान्तर्गत 4-8 माह उम्र के मादा वत्स (बछिया/पडिया) को ब्रुसलोसिस रोग से बचाने हेतु रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण कार्य किया जाता है।

7.27.13 मुंहपका खुरपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP-FMD):— छत्तीसगढ़ राज्य में एफ.एम.डी. रोग की रोकथाम हेतु NADCP अंतर्गत वर्ष 2019-20 में एफ.एम.डी. मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत एफ.एम.डी. रोग की रोकथाम हेतु प्रत्येक 6 माह के अंतराल में गौवंशीय, भैंसवंशीय पशुओं में सघन टीकाकरण कार्य किया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में 59.25 लाख प्रतिबंधात्मक टीकाकरण कार्य किया गया है।

7.27.14 पी.पी.आर नियंत्रण कार्यक्रम (PPR,CP):— बकरियों में पी.पी.आर नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश के बकरियों को पी.पी.आर रोग के विरुद्ध टीकाकरण किया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में 1,83,125 भेंड़ एवं बकरियों में टीकाकरण किया गया।

7.27.15 नेशनल लाइवस्टॉक मिशन योजना (एन.एल.एम.):— वर्ष 2020-21 में योजना अन्तर्गत पशुपालकों को व्यवसायिक बकरी पालन हेतु बकरी इकाईयों का वितरण, बकरियों के लिए कृमीनाशक दवापान एवं मिनरल मिक्चर का वितरण, 02 दिवसीय पशु मेला आयोजन, चारा बीज वितरण, पावर

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

ड्रिवन चॉफ कटर वितरण एवं चारागाह विकास कार्य स्वीकृत किये गए। वर्षान्त में योजना अन्तर्गत बंटित कुल राशि रु. 30.45 करोड़ में से राशि रु. 29.60 करोड़ (97.2%) का व्यय किया गया। योजना में कुल 1,600 बकरी इकाई वितरित किया गया, 200 बकरी कल्स्टर अन्तर्गत लगभग 4.00 लाख बकरियों हेतु कृमिनाशक दवापान एवं मिनरल मिक्चर का वितरण किया गया, 108 दो दिवसीय पशु मेला आयोजन, 6,345 क्विंटल चारा बीज वितरण, 1,500 पावर ड्रिवन चॉफ कटर वितरण एवं 500 हेक्टेयर भूमि पर चारागाह विकास कार्य किया गया।

वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा योजना के स्वरूप में परिवर्तन किया जा रहा है, जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7.27.16 सुराजी गांव योजना— नरवा, गरुवा, घुरवा एवं बाड़ी (NGGB) :- प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के अन्तर्गत नरवा, गरुवा, घुरवा एवं बाड़ी योजना का क्रियान्वयन विभिन्न विभागों जैसे — पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, पशुधन विकास, उद्यानिकी, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी आदि के समन्वय से किया गया। समस्त जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत स्तर पर गोचर भूमि आरक्षित कर गौठान एवं चारागाह का वृहद निर्माण सतत् रूप से किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गौवंशीय—भैसवंशीय पशुधन को गौठानों के माध्यम से एक स्थान पर छाया, शुद्ध पेयजल, सूखा एवं हरा चारा उपलब्ध कराना है, जिससे खुले में घूम रहे पशुओं से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान से बचाया जा सके साथ ही पशुओं को मूलभूत सुविधा के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी उपलब्ध कराया जा सके।

गौठानों में सी.पी.टी. एवं तार फेंसिंग कर आरक्षित भूमि को घेरा कर पशुओं के लिए स्थान सुरक्षित किया गया है, जहां डे—केयर सेन्टर के रूप में ग्राम के पशुओं को चरवाहा के माध्यम से प्रातः कालीन गौठानों में लाया जाना है तथा संध्या होने पर पुनः पशु मालिक के घर वापस किया जाना है।

योजनांतर्गत विभागीय अमलो द्वारा गौठान में आने वाले पशुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे प्राथमिक उपचार, समयबद्ध प्रतिरोधात्मक टीकाकरण के साथ-साथ कृत्रिम गर्भाधान, प्राकृतिक गर्भाधान हेतु सांड वितरण, बधियाकरण, कृमिनाशक दवापान, कीटनाशक छिड़काव आदि सुविधायें उपलब्ध कराना है।

वर्तमान में योजनांतर्गत 10,418 गौठानों को स्वीकृति प्रदाय की गयी है जिसमें से 7,356 गौठानों का पूर्ण निर्माण किया गया है। वर्ष 2020-21 में इन गौठानों में आने वाले पशुओं में 36,198 कृत्रिम गर्भाधान कार्य, 24.06 लाख टीकाकरण 3,58,941 पशुओं का उपचार एवं 47,176 पशुओं में बधियाकरण कार्य संपादित किया गया है। शासन की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना अन्तर्गत गौठान ग्राम के स्व-सहायता समूहों द्वारा गौठान में एकत्रित गोबर को रु. 2 प्रतिकिलो के दर पर विक्रय कर आय अर्जित किया जा रहा है।

7.27.17 पशु उत्पाद उपलब्धता :- वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के जिलों में केन्द्रीय एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत कुल 2,574 ग्राम/वार्ड का प्राथमिक सर्वेक्षण एवं 810 चयनित

ग्रामों/वार्डों में विस्तृत सर्वेक्षण कार्य पशु उत्पाद दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस के उत्पादन विषयक अनुमान लगाने हेतु सम्पादित किया गया। सर्वेक्षण अनुसार राज्य में 1,747 (हजार टन) दुग्धोत्पादन, 18,554 (लाख) अण्डा उत्पादन एवं 46.761 (हजार टन) मांस उत्पादन अनुमानित पाया गया। वर्ष 2020-21 के एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण अनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 154 ग्राम दूध की उपलब्धता, प्रतिव्यक्ति वार्षिक 60 अण्डे तथा प्रतिव्यक्ति वार्षिक मांस की उपलब्धता 1.505 कि०ग्रा० होना पाया गया है।

7.27.18 डेयरी उद्यमिता विकास योजना:- राज्य में डेयरी उद्यमिता की अपार संभावनाओं को देखते हुए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की बढ़ती हुई मांग के दृष्टिगत आपूर्ति सुनिश्चित करने डेयरी इकाई की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिसके तहत 2 दुधारू पशुओं की इकाई लागत राशि रुपये 1.40 लाख पर सामान्य प्रवर्ग के हितग्राहियों को 50% तथा अ.जा./अ.ज.जा. प्रवर्ग के हितग्राहियों को 66.6 % की दर से अनुदान प्रावधानित है। योजनांतर्गत हितग्राही द्वारा इकाई को बैंक ऋण के माध्यम से (बैंक लिंकेज) या स्वयं की पूंजी (स्ववित्तीय) से क्रियान्वित किया जा सकेगा।

राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 में राशि रु. 1,639.90 लाख आबंटन में से अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 तक 193 डेयरी इकाई स्थापना हेतु राशि रु. 924.80 लाख का अनुदान तथा अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक कुल 527 डेयरी इकाई स्थापना हेतु राशि रु. 1,517.66 लाख का अनुदान प्रदाय किया गया है। वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर 2021 तक अनुदान 394 हितग्राहियों को राशि रु. 1,407.90 लाख आबंटन में से राशि रु. 563.16 लाख का अनुदान प्रदाय किया गया है।

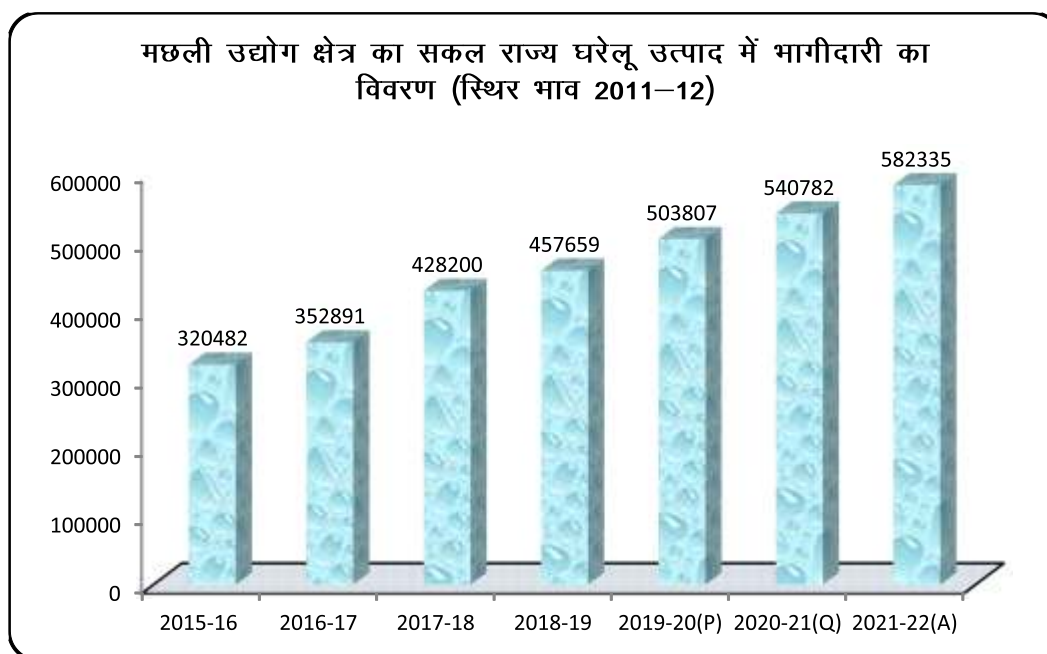
7.27.19 उन्नत मादा वत्सपालन योजना :- इस योजना का लाभ सभी वर्ग के हितग्राहियों को दिया जाता है, ताकि उन्नत नस्ल के वत्सपालन की अभिरुचि उत्पन्न हो। वर्तमान में सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के लिये रु. 15,000/- एवं अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के लिये रु. 18,000/- उन्नत नस्ल की बछिया हेतु 4 से 24 माह तक की आयु के लिये पशु आहार बाबत अनुदान का प्रावधान है। वर्ष 2020-21 में योजना अन्तर्गत राशि रु. 252.00 लाख आबंटन में से राशि रु. 239.00 लाख व्यय कर 1,405 हितग्राहियों को योजना अन्तर्गत लाभान्वित किया गया।

वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर 2021 तक राशि रु. 252.00 लाख आबंटन में से राशि रु. 53.44 लाख व्यय कर 156 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

मत्स्य विकास

छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन विकास काफी प्रगति पर है। राज्य में उपलब्ध जल संसाधन की दृष्टि से मछली पालन एक विशिष्ट स्थान रखता है, राज्य की भौगोलिक एवं कृषि जलवायु स्थितियां भी मछली पालन हेतु उपयुक्त है। मछली पालन अधिक आय कम लागत और कम समय में सहायक धन्धे के रूप में ग्रामीण अंचलों में अत्यन्त लोकप्रिय है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारोन्मुखी साधन है मछली पालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। साथ ही मछली जैसे पौष्टिक खाद्य का उत्पादन बढ़ाकर कुपोषण को दूर किया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा इस व्यवसाय से जुड़े मछुआरों के हित में अनेक कल्याणकारी निर्णय लिये गये हैं तथा उनका लाभ भी अधिक उत्पादन के रूप में परिलक्षित होने लगा है।

तालिका 7.14 मछली उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011-12)							
विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
योगदान (लाख रु.)	320482	352891	428200	457659	503807	540782	582335
वृद्धि (प्रतिशत)	8.91	10.11	21.34	6.88	10.08	7.34	7.68
योगदान (प्रतिशत)	1.78	1.81	2.14	2.05	2.16	2.34	2.27

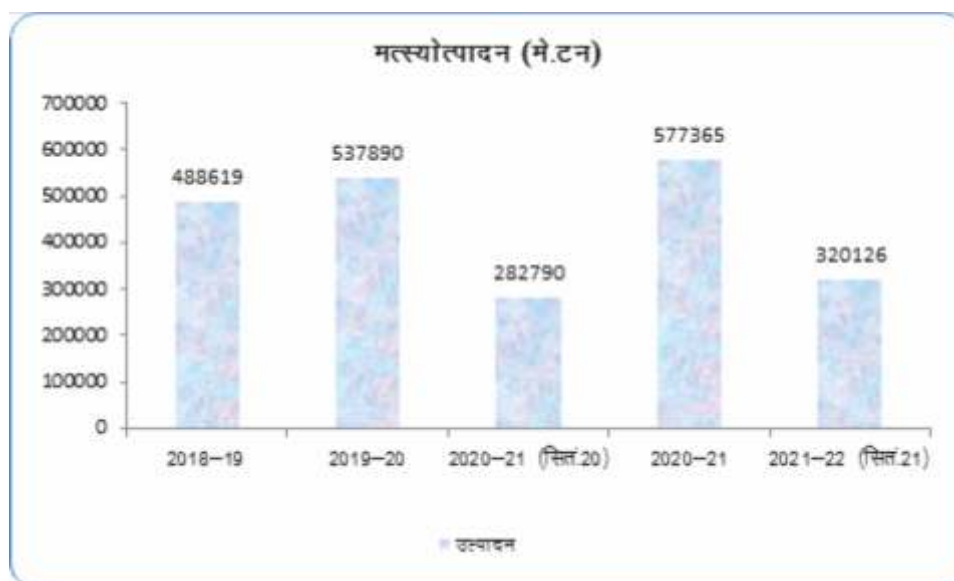


► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

7.28 छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नानुसार मत्स्य विकास किया जा चुका है :- संसाधन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.920 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है जिसमें से 1.812 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र मछली पालन अन्तर्गत विकसित किया जा चुका है जो कुल जलक्षेत्र का 94.38 प्रतिशत है।

(अ) राज्य आयोजना :-

- **मत्स्य बीज उत्पादन :-** राज्य में वर्ष 2019-20 में समस्त श्रोतों से 27,386.86 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई का उत्पादन हुआ था। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में 28,805.29 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई का उत्पादन हुआ जो गतवर्ष की तुलना में 5.18 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2021-22 में 26,986.14 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई का उत्पादन सितंबर 2021 की स्थिति में हुआ है।
- **मत्स्योत्पादन :-** राज्य में समस्त श्रोतों से वर्ष 2019-20 में 5,37,890 मे. टन का मत्स्य उत्पादन किया गया था, वर्ष 2020-21 में 5,77,365 मे. टन किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 7.34 प्रतिशत अधिक था। आलोच्य वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर तक 3,20,126 मे. टन मत्स्योत्पादन किया गया है।



- **मछुआ सहकारिता :-** राज्य में वर्ष 2020-21 तक समितियों की संख्या 1,645 है। इन समितियों की सदस्य संख्या 55,685 है। उक्त समितियों को 10 वर्ष की अवधि के लिये तालाब/सिंचाई जलाशय पट्टे पर दिये जाने का प्रावधान है।
- **शिक्षण-प्रशिक्षण:-** शिक्षण-प्रशिक्षण योजनान्तर्गत विभाग द्वारा सभी श्रेणी के मछुआरों को राज्य में मत्स्य पालन के साथ मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु मछली पालन की तकनीकी पद्धति एवं मछली पकड़ने, जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में मछुआरों को प्रशिक्षण केन्द्र तक आने जाने का किराया एवं प्रशिक्षण

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

वृत्ति 750 /—, जाल बुनने हेतु धागा के लिए रूपये 400 /—, तथा अन्य व्यय हेतु 100 /— इसी प्रकार प्रति प्रशिक्षणार्थी पर कुल व्यय रु. 1250 /— का प्रावधान है। वर्ष 2020-21 में इस कार्यक्रम के तहत 6,770 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया।

- **मछुवारों को नवीनतम तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हेतु तीन दिवसीय उन्नयन प्रशिक्षण:**—सभी वर्ग के मछुवारों को तकनीकी ज्ञान में वृद्धि के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके तहत रु. 1,000 प्रति प्रशिक्षणार्थी व्यय का प्रावधान है। (शिष्यवृत्ति एवं क्षेत्रीय भ्रमण हेतु राशि रु. 450 /— तथा आने जाने पर व्यय हेतु राशि रु. 550 /— व्यय प्रावधानित है।)
- **मछुआओं का अध्ययन भ्रमण :**—सभी वर्ग के प्रगतिशील मछुआओं को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु देश के अन्य राज्यों में अपनायी जा रही मछली पालन की तकनीक से परिचित कराने के उद्देश्य से राज्य के बाहर 10 दिवसीय अध्ययन भ्रमण पर भेजा जाता है उक्त प्रशिक्षण के दौरान आने जाने का किराया तथा रु. 100 /— प्रति दिवस प्रति मछुआ के मान से प्रशिक्षण वृत्ति दिया जाता है। हितग्राही के अध्ययन भ्रमण हेतु अधिकतम रु. 2,500 /— प्रति हितग्राही व्यय किये जाने का प्रावधान है।
- **मत्स्य पालन प्रसार :**— मत्स्य पालन प्रसार योजनान्तर्गत मछुआओं को झींगा मत्स्य पालन हेतु अनुसूचित जाति-जनजाति के कृषकों को झींगा बीज क्रय करने तथा खाद्य एवं खाद्य पदार्थ हेतु 3 वर्षों में अधिकतम रूपये 15,000 /— का प्रावधान है। योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 657 इकाईयां स्थापित की गई है, उक्त इकाईयों में 3.090 लाख झींगा बीज संचयन कर 3180.00 कि. ग्रा. का उत्पादन प्राप्त किया गया है।
- **मौसमी तालाबों में स्पान संवर्धन** — राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं जाति के हितग्राहियों को मौसमी तालाब में स्पान संवर्धन कर मत्स्य बीज उत्पादन योजनान्तर्गत प्रति इकाई रु. 30,000 /—की आर्थिक सहायता वर्ष 2020-21 में 363 हितग्राही लाभान्वित हुए।
- **नाव जाल अथवा जाल क्रय की सुविधा** — राज्य में अनुसूचित जनजातियों के हितग्राहियों को मत्स्याखेट उपकरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्यों से वर्ष 2020-21 में 2,444 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।
- **फिंगरलिंग क्रय कर संचयन** — वर्ष 2020-21 में 4,387 हितग्राही लाभान्वित हुए।
- **मछुआओं के लिए फुटकर मछली विक्रय योजना :**—सभी संवर्ग के फुटकर मछुआ मत्स्य हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू-बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआ रु. 6,000 /— तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2020-21 में 903 हितग्राहियों को सहायता दी गई।

- **मत्स्य प्रजनक बैंक की स्थापना हेतु मत्स्य पालकों को मत्स्य प्रजनकों की आपूर्ति कर आर्थिक सहायता** :—राज्य के मत्स्य बीज उत्पादकों को मत्स्य प्रजनन काल के दौरान उन्नत स्वस्थ मत्स्य प्रजनक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मत्स्य पालकों को मत्स्य प्रजनक बैंक की स्थापना कर मत्स्य प्रजनक आपूर्ति कर प्रोत्साहन के तौर पर विक्रय राशि का 30 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम रु. 45/- प्रति किलो ग्राम दिये जाने का प्रावधान है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण तालाबों में शत-प्रतिशत अनुदान पर मत्स्य बीज संचयन योजना के तहत प्रतिवर्ष रु. 7850/- (लाख में) व्यय किया जाकर क्षेत्र के 302 ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज संचयन कर ग्रामीणों को सुपाच्य भोजन प्राप्ति हेतु सहायता।
- **रोजगार सृजन** :—मत्स्य कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2020-21 में 318.00 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया। वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर 2021 तक 28.75 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया।
- **मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा** :— मछली पालन व्यवसाय से जुड़े मत्स्य जीवियों को मत्स्य पालन अथवा मत्स्याखेट के समय दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना क्रियान्वित की गई है। हितग्राही मत्स्य कृषक 18-70 वर्ष आयु वर्ग के ही इस योजना में सम्मिलित किये जाते हैं। केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा 50-50 प्रतिशत के अनुपात में व्यय भार वहन किया जाता है। योजनान्तर्गत दुर्घटना स्थिति में बीमित हितग्राहियों को अस्थायी अपंगता पर रु. 1,00,000/- तथा स्थाई अपंगता अथवा मृत्यु होने पर उस परिवार के नामित व्यक्ति को रु. 2,00,000/- की आर्थिक सहायता दी जावेगी। वर्ष 2020-21 में 2,21,300 मछुआरों का बीमा कराया गया इसमें राज्य दूसरे स्थान पर रहा। वर्ष 2021-22 में 2,21,300 मछुआरों के बीमा कराए जाने के लक्ष्य हेतु राशि रु. 17.14 लाख का प्रावधान किया गया है।

(ब) केन्द्र क्षेत्र योजनाएँ :-

- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** :—यह योजना वर्ष 2007-08 से राज्य में लागू है। योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के माध्यम से हितग्राहियों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जा रहा है।
- **स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण** :—सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक अनु. जन.जाति महिला कृषकों को प्राथमिकता निर्धारित है। 1 हेक्टेयर जलक्षेत्र निर्माण ईकाई लागत रुपये 8.50 लाख पर अधिकतम रुपये 5.10 लाख की सहायता शासन द्वारा दी जाती है।
- **मत्स्याखेट हेतु नाव जाल उपकरण क्रय हेतु आर्थिक सहायता** :— सभी वर्ग के मत्स्य पालक समूह जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए तालाब/जलाशय पट्टे पर आबंटित किए गए हैं। ऐसे मत्स्य पालक समूह को नाव जाल क्रय हेतु रु. 25 हजार की सहायता तथा मछुआ सहकारी समिति को नाव/जाल क्रय हेतु रु. 1.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2020-21

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

में 75 हितग्राहियों को नाव जाल प्रदाय किया गया। वर्ष 2021-22 में माह सितंबर 21 तक 10 हितग्राहियों को नाव जाल प्रदाय किया गया।

- **मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन:-** मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कराकर कृषक की आय बढ़ाने एवं अतिरिक्त संवर्धन क्षेत्र विकसित करने के लिए रु. 0.30 लाख की सहायता (कृषक अंश 0.10 लाख) दी जाती है। वर्ष 2020-21 में 140 तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन किया गया। वर्ष 2021-22 में माह सितंबर 21 तक 150 मौसमी तालाबों के लक्ष्य के विरुद्ध 126 तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन किया गया।
- **तालाबों में अंगुलिका संचयन कार्यक्रम:-** तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फ्राई के स्थान पर फिंगरलिंग संचयन करवाने के लिए रु. 0.03 लाख की सहायता दी जाती है।
- **जलाशयों में मत्स्य अंगुलिका संचयन :-** जलाशयों में अंगुलिका को संचयन हेतु 50:50 (शासन एवं हितग्राही) के अंश में शासकीय अनुदान दिया जाता है।
- **जलाशयों में केज कल्चर:-** राज्य के बड़े एवं मध्यम जलाशयों में बैटरी के 48 फ्लोटिंग केज स्थापित कर उनमें तीव्र गति से बढ़ने वाली मत्स्य (पंगेसियस, तिलापिया) का पालन किया जाता है। वर्ष 2020-21 तक 188 केज स्थापित की गई हैं।
- **तालाबों में मत्स्य उत्पादकता वृद्धि हेतु प्रदर्शन इकाई की स्थापना :-** तालाबों की मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि हेतु प्रदर्शन इकाई स्थापना हेतु रुपये 1.48 लाख (रुपये 1.11 लाख शासकीय सहायता एवं रुपये 0.37 लाख हितग्राही अंश) दी जाती है। वर्ष 2020-21 तक 150 प्रदर्शन इकाई की स्थापना की गई है। वर्ष 2021-22 में माह सितंबर 21 तक 10 प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना की गई।
- **राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड :-** भारत शासन द्वारा गठित राष्ट्रीय मात्स्यिकीय विकास बोर्ड द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान पर मछुआरों के हितार्थ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2008-09 में इस योजना अंतर्गत मछुआरों को लाभान्वित किया जा रहा है।
- **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना :-** मत्स्य पालन क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। भारत शासन द्वारा मात्स्यिकी क्षेत्र की क्षमता को सकार करने की दिशा के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020-21 से लागू की गई है। योजना के तहत विभिन्न घटकों की रूप रेखा तैयार की गई है। ताकि अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन एवं मत्स्य पालन के पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के व्यापक क्षेत्रों में किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। उक्त योजना राज्य में भी लागू की गई हैं। वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक कुल 05 वर्षों के लिए राज्य में क्रियान्वित किया जाना है। योजना क्रियान्वयन के लिए 60 प्रतिशत अंशदान भारत शासन द्वारा तथा 40 प्रतिशत अंशदान राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

वर्ष 2020-21 में भारत शासन द्वारा राज्य के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में रु. 12,981.00 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। जिसमें भारत शासन द्वारा रु. 3,755.00 लाख तथा रु. 2,543.36 लाख राज्य शासन द्वारा अंशदान आर्थिक सहायता के रूप में वहन किया जाएगा।

इस योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 में 2841.27 लाख रुपए बजट प्रावधान में से 2836.77 लाख रु. व्यय किए गए। वर्ष 2021-22 में माह सितंबर 21 तक 2592.62 लाख रुपए बजट प्रावधान में से 1470.11 लाख रु. व्यय किए गए।

नरवा – गरवा – घुरवा – बाड़ी :- वर्ष 2019 से राज्य में कृषि एवं उस पर आधारित व्यवसाय जैसे कि मछलीपालन, पशु पालन आदि को परंपरागत तरीके से करने हेतु यह कार्यक्रम चलाया गया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण कृषि, पशु पालन, जल संसाधनों का उपयोग एवं उनके उत्पाद तथा अवशिष्ट पदार्थ का उपयोग स्थानीय स्तर पर कृषि एवं उस पर आधारित कार्यों में किया जाता है।

कार्यक्रम अंतर्गत चयनित ग्रामों में गौठानों की स्थापना की गई है। इन गौठानों के परिवृत्त में स्थित तालाबों में मत्स्य बीज संचय कर मत्स्य पालन किया जाना है। गौठान के ताजे गोबर का उपयोग तालाबों में प्राकृतिक मत्स्य आहार विकसित करने के लिए किया जाता है। वर्ष 2020-21 में कुल 12,006 तालाब, जलक्षेत्र 16,666.17 हैक्टेयर चिन्हांकित कर कुल 546.65 लाख फिंगरलिंग का संचयन किया जा चुका है तथा वर्ष 2021-22 में कुल 9,283 तालाब, जलक्षेत्र 9,916.15 हैक्टेयर चिन्हांकित कर कुल 527.83 लाख फिंगरलिंग का संचयन करने की कार्यवाही की जा रही है।

भूमि उपयोग

(हेक्टेयर में)

क्र.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	13789836	13788302	13788302	14044904
2	वनों के अर्न्तगत क्षेत्रफल	1856227	1846828	1849876	1858011
3	कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं है				
	अ. गैर कृषि उपयोग में लाई गई भूमि	744717	739026	750203	751095
	ब. ऊसर व गैर-मुस्तकिल भूमि	286740	288118	287265	287529
	उपयोग -3	1031457	1027144	1037468	1038624
4	पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य अकृष्य भूमि				
	अ. स्थायी तथा दीगर चरागाह	883033	887314	893044	895107
	ब. विविध झाड़ों के झुण्ड तथा बाग जो बोये हुये क्षेत्र में शामिल नहीं हैं ।	1361	2316	2745	2828
	स. कृषि योग्य बंजर भूमि	364946	365376	366459	360664
	उपयोग -4	1249340	1255006	1262248	1258599
5	पड़ती भूमि				
	अ. पड़त भूमि चालू पड़ती के अतिरिक्त	252014	257028	255610	254817
	ब. चालू पड़ती भूमि	289829	264175	290907	300685
	उपयोग -5	541843	521203	546517	555502
6	कुल अकृष्य भूमि पड़ती शामिल कर उपयोग -4+5	1791183	1776209	1808765	1814101
7	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	4653495	4681090	4635340	4622725
8	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	886744	943232	1099262	1089769
9	सकल बोया गया क्षेत्रफल	5540239	5624322	5734602	5712494

स्रोत : आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ़

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

अनुलग्न-7.2

छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल तथा उसका वर्गीकरण कृषि वर्षान्त 30 जून, 2021

(हेक्टेयर में)

क्रमांक	जिला	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	वन	कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं है		अन्य कृषि भूमि पड़ती को छोड़कर			पड़ती		फसल का निरा क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	सम्पूर्ण फसलों का कुल क्षेत्रफल
					ब-गैर कृषि उपयोग में लाई गई भूमि	कृषि के योग्य बंजर भूमि	मुस्ताकिल व दीगर चारागाह	अन्य झाड़ों के झुण्ड तथा बाग जो बोये गये क्षेत्रफल में शामिल नहीं हैं	चालू पड़ती	पुरानी पड़ती(2 से 5 साल तक)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रायपुर	291437	1660	335	49125	21282	35858	65	4364	13021	164458	33008	197466
2	बलौदाबाजार	467697	24610	5696	32678	12616	32969	7	5778	9558	235474	23790	259264
3	गरियाबंद	585494	89448	3656	22998	5222	28041	18	5887	3717	131507	27223	158730
4	महासमुन्द	496301	31107	6144	37560	5355	32320	22	9622	5373	258792	40761	299553
5	धमतरी	408193	14893	1482	29935	2703	16136	3	2129	2242	142641	74081	216722
6	दुर्ग	231999	0	4881	36233	11013	19317	95	5217	7519	147724	62440	210164
7	बालोद	352700	26002	4549	33294	8383	20095	49	3814	5295	179393	60229	239622
8	बेमेतरा	285481	0	7	24985	4446	23362	20	3490	3810	225361	170233	395594
9	राजनांदगांव	802252	96896	17155	51725	15064	53875	274	20991	18397	368130	175029	543159
10	कबीरधाम	444705	25619	9966	16626	2458	29006	67	5567	4153	187411	121015	308426
11	बस्तर	608337	86527	19880	26439	36886	25835	1364	15534	11333	163359	6996	170355
12	कोंडागांव	641727	182437	16332	12021	13247	13337	298	4595	3839	139921	8345	148266
13	नारायणपुर	692268	18302	1654	3146	8167	3705	13	6485	4663	25551	297	25848
14	कांकेर	643268	96844	19160	31655	20816	66141	43	24067	17207	185096	20445	205541
15	दन्तेवाड़ा	341050	33438	27466	12084	29038	4254	0	16710	14872	88573	473	89046
16	सुकमा	580405	141391	11894	15759	58532	24353	60	11736	10905	94972	1098	96070
17	बीजापुर	653762	313378	6493	18776	41736	8919	0	5153	5312	76024	74	76098
18	बिलासपुर	342335	38479	3422	25829	12078	40791	42	7130	6453	174858	24376	199234
19	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	239514	72044	5500	4795	3478	7597	12	4359	2836	64902	4721	69623
20	मुंगेली	275036	1936	229	11166	356	17649	15	2003	1806	128782	91608	220390
21	जाजगीर	446674	9916	2365	32898	11877	37880	124	5575	5233	261635	29027	290662
22	कोरबा	714544	186683	30934	26449	18323	25632	137	10729	10114	122429	3064	125493
23	रायगढ़	652774	59326	14341	59105	7454	66306	0	23188	20799	254479	27495	281974
24	सरगुजा	502180	113949	5112	26708	0	46742	0	18818	11675	152300	21667	173967
25	बलरामपुर	601634	73675	1637	29624	0	86658	100	16909	13885	158120	23978	182098
26	सूरजपुर	499626	15305	1197	29760	0	53091	0	15967	9888	153312	17663	170975
27	कोरिया	597770	47619	13438	24501	0	33135	0	19588	13298	94841	9299	104140
28	जशपुर	645741	56527	52604	25221	10134	42103	0	25280	17614	242680	11334	254014
योग		14044904	1858011	287529	751095	360664	895107	2828	300685	254817	4622725	1089769	5712494

स्रोत : आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ़

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

अनुलग्न-7.3

जिलेवार फसलों का कुल तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

क्र.	जिला	कुल क्षेत्रफल			बोया गया क्षेत्रफल		
		2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
1	कोरिया	106500	106923	104140	96853	96978	94841
2	सरगुजा	175836	174913	173967	155004	152753	152300
3	बलरामपुर	183054	178824	182098	151944	153653	158120
4	सूरजपुर	172681	172008	170975	153605	152883	153312
5	जशपुर	257051	254947	254014	245292	242132	242680
6	रायगढ़	290431	291207	281974	264392	261537	254479
7	कोरबा	130158	122204	125493	125242	118214	122429
8	जांजगीर-चांपा	273348	271829	290662	257232	257639	261635
9	बिलासपुर	253821	198494	199234	225397	173575	174858
10	मुंगेली	207797	225043	220390	128810	128750	128782
11	कबीरधाम (कवर्धा)	279040	305453	308426	187499	189182	187411
12	राजनांदगांव	517075	548783	543159	375436	370509	368130
13	दुर्ग	189114	207114	210164	149431	146600	147724
14	बेमेतरा	361093	396522	395594	225216	225678	225361
15	बालोद	237601	245678	239622	178673	176591	179393
16	रायपुर	194673	202209	197466	162183	162283	164458
17	बलौदा बाजार	262849	254862	259264	232580	232176	235474
18	गरियाबंद	161202	155872	158730	139969	134110	131507
19	महासमुंद	313131	308621	299553	268240	264143	258792
20	धमतरी	213316	214584	216722	144639	142095	142641
21	उत्तर बस्तर (कांकेर)	225209	223137	205541	210461	201195	185096
22	बस्तर	173916	168518	170355	167357	161308	163359
23	कोंडागांव	145847	147852	148266	138180	139907	139921
24	नारायणपुर	32392	30824	25848	32090	30416	25551
25	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	98428	90809	89046	97471	90221	88573
26	सुकमा	102391	99626	96070	101567	96974	94972
27	बीजापुर	66368	70154	76098	66327	70096	76024
28	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	—	67592	69623	—	63742	64902
छत्तीसगढ़		5624322	5734602	5712494	245292	4635340	4622725

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

अनुलग्न-7.4

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र								
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.0	अनाज									
1.1	धान	3982.2	3987.7	4035.7	3959.7	4052.60	3976.63	4140.97	4192.23	4339.26
1.2	गेहूँ	102.2	105.0	103.2	105.8	102.1	102.2	99.97	116.27	167.50
1.3	ज्वार	6.2	5.2	5.0	5.4	4.0	3.73	3.08	1.97	1.27
1.4	मक्का	116.8	123.4	125.1	126.4	120.5	119.6	118.2	130.4	147.2
1.5	कोदो-कुटकी	111.1	102.0	91.6	82.8	76.3	68.83	62.81	46.44	41.33
1.6	जौ	2.8	2.7	2.5	1.1	2.1	1.88	1.70	1.79	1.14
51.7	छोटे अनाज	34.5	33.0	30.4	38.1	35.5	29.03	21.05	21.14	15.68
2.0	दालें									
2.1	चना	260.2	267.9	289.7	280.9	290.7	335.03	330.93	419.93	314.85
2.2	तुअर	52.9	51.9	52.8	65.1	63.5	63.25	62.78	35.77	39.89
2.3	उड़द	102	98.7	96.9	97	94.4	88.34	82.39	76.06	76.95
2.4	मूग-मोठ	15.4	15.5	15.2	14.9	15.2	11.96	10.73	6.44	5.02
2.5	कुल्थी	48.7	47.6	45.9	44.3	43.7	41.6	38.6	26.3	21.6
2.6	लाख (तिवड़ा)	347.6	331.8	315.2	273.8	263.2	241.2	177.7	188.6	171.6
3.0	गन्ना	17.5	23	23.9	30.1	31.4	34.8	43.3	31.2	32.2
4.0	तिलहन									
4.1	मूँगफली	28.7	29.4	29.2	29	26.7	25.41	23.65	22.10	22.76
4.2	रामतिल	66.5	66.2	63.6	64.3	60.8	56.32	55.56	36.32	29.30
4.3	तिल	19.7	19.7	17.0	19.5	18.4	17.26	16.57	14.95	14.83
4.4	सोयाबीन	103.2	101.5	107.8	82.2	96.2	91.56	81.56	75.11	64.50
4.5	अलसी	35.3	32.2	31.2	25.1	21.6	17.76	16.11	13.00	9.88
4.6	राई सरसों	49.2	47	47.5	46.3	40.5	41.42	38.85	35.03	31.84

स्रोत-आयुक्त भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

अनुलग्न-7.5

प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार में टन में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों का उत्पादन								
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.0	अनाज									
1.1	धान	11772.6	10654.1	11966.6	7731.5	13189.9	8623.5	9762.8	12854.06	13874.53
1.2	गेहूँ	143.2	140.8	153.3	142.33	151.08	141.64	446.13	135.89	259.51
1.3	ज्वार	4.5	3.3	4.2	4.36	5.44	4.7	2.81	2.54	1.68
1.4	मक्का	225.1	254.1	235.1	237.74	309.32	306.94	303.60	406.82	522.76
1.5	कोदो-कुटकी	23.7	21.0	20.7	11.93	23.05	14.87	22.23	14.49	20.17
1.6	जौ	1.3	2.4	2.7	0.67	1.88	1.96	1.36	1.09	0.79
1.7	छोटे अनाज	9.7	8.3	8.9	7.87	4.97	5.74	5.76	5.01	4.37
2.0	दालें									
2.1	चना	304.9	221.6	311.2	218.8	338.32	331.67	680.03	105.82	258.80
2.2	तुअर	31	29.4	35.1	30.6	39.01	25.74	30.13	22.47	23.90
2.3	उड़द	31.4	30.0	30.1	28.91	30.57	28.52	26.98	24.84	28.77
2.4	मूँगमोठ	4.2	4.0	4.2	6.56	6.44	4.92	4.85	2.44	2.32
2.5	कुल्थी	14.3	14.1	14.3	15.09	16.37	15.76	14.86	10.25	8.80
2.6	लाख (तिवड़ा)	159.9	174.0	297.9	192.1	222.63	129.79	124.23	60.91	121.63
3.0	गन्ना	37.3	23.8	76.1	46.9	109.58	64.21	93.38	69.90	74.23
4.0	तिलहन									
4.1	मूँगफली	40.5	42.3	40.8	37.25	46.93	32.112	78.05	33.68	34.41
4.2	रामतिल	11.7	11.6	11.3	10.24	11.39	10.69	10.7	6.89	5.94
4.3	तिल	5.7	4.8	8.0	6.82	7.55	5.19	5.67	6.01	5.99
4.4	सोयाबीन	126.1	111.9	50.1	40.12	76.13	30.31	52.20	83.00	47.34
4.5	अलसी	13.4	11.9	11.2	9.45	10.10	4.57	4.37	4.81	3.79
4.6	राई सरसों	23.9	27.0	24.6	25.96	18.43	18.35	18.96	15.69	16.46

स्त्रोत-आयुक्त भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

अनुलग्न – 7.6

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

(किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर)

वर्ष	धान	गेहूँ	ज्वार	मक्का	चना	तुअर	सोयाबीन	कपास	गन्ना
1999-2000	2006	1205	844	1548	642	1086	832	249	3000
2000-2001	1482	1022	665	1346	515	429	547	106	2601
2001-2002	2103	1024	965	745	714	374	810	121	2514
2002-2003	1025	1106	740	1305	644	433	550	142	2484
2003-2004	2297	1066	1001	1370	964	603	882	336	2582
2004-2005	1848	889	667	1430	542	510	1017	284	2472
2005-2006	2051	876	682	1078	710	441	895	158	2310
2006-2007	2138	1044	873	1225	843	426	998	287	2546
2007-2008	2177	1098	1019	1562	872	522	1155	232	2485
2008-2009	1797	1027	1188	1404	801	583	977	298	2387
2009-2010	1769	1090	1214	1429	872	522	930	अनुपलब्ध	2405
2010-2011	2529	1174	1432	1817	957	439	1174	283	2448
2011-2012	2523	1278	768	654	995	432	753	240	2696
2012-2013	2955	1401	726	1927	1138	597	1242	141	1622
2013-2014	2672	1341	635	2059	765	557	1038	143	996
2014-2015	2965	1486	840	1879	1061	635	487	-	2615
2015-2016	1953	1345	805	1881	779	470	488	326	2440
2016-2017	2212	1448	1355	2566	1164	615	791	316	4236
2017-18	2169	1332	1339	2566	990	407	331	323	4906
2018-19	2358	1548	990	2568	1044	480	640	249	4477
2019-20	3066	1169	1403	3119	252	628	1105	310	5371
2020-21	3197	1549	1501	3552	822	599	734	350	5209

स्रोत : आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ़

* भू-अभिलेख द्वारा चावल का उत्पादन दिया गया है जिसको धान में $(= \text{Rice} \times 3/2)$ परिवर्तित किया गया है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

अनुलग्न – 7.7

सिंचाई स्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र

(हेक्टेयर में)

क्र	वर्ष	नहरें	तालाब	कुएँ	नलकूप सहित अन्य साधन	योग
1	1999-2000	802137	60085	40236	175981	1078439
2	2000-2001	677930	54663	39308	212261	984162
3	2001-2002	834737	54944	38955	222645	1151281
4	2002-2003	735061	55447	38871	243431	1072810
5	2003-2004	768759	49707	35611	236410	1090487
6	2004-2005	829987	58032	38952	281099	1208070
7	2005-2006	876039	52611	34724	284916	1248290
8	2006-2007	887577	52089	34853	307766	1282285
9	2007-2008	913825	55770	30666	333704	1333965
10	2008-2009	887059	51206	28275	372673	1339213
11	2009-2010	869701	50398	26790	375903	1322792
12	2010-2011	895112	45605	26092	388442	1355251
13	2011-2012	873089	53669	19686	468084	1414528
14	2012-2013	876670	49226	20413	502728	1449037
15	2013-2014	960033	52079	22296	716660	1751068
16	2014-15	903801	42622	20180	501107	1467710
17	2015-16	889345	42923	20607	523040	1475937
18	2016-17	900895	41322	21081	522465	1485763
19	2017-18	870304	39570	18553	573974	1502401
20	2018-19	898000	29876	15807	621159	1564842
21	2019-20	878588	28061	15960	620404	1543033
22	2020-21	910869	26074	14050	647961	1598954

स्रोत:- आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

अनुलग्न-7.8

छत्तीसगढ़ राज्य में जिलेवार सिंचित क्षेत्रफल कृषि वर्षात 30 जून 2021

क्र.	जिला	योग समस्त साधनों से सिंचित क्षेत्रफल		फसलों के निरा क्षेत्रफल से सिंचित निरा क्षेत्रफल का प्रतिशत	क्षेत्रफल जिसमें वर्ष में एक बार सिंचाई की गई हो	सम्पूर्ण फसलों के क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत
		कुल	निरा			
1	रायपुर	153397	135945	83%	17452	78%
2	बलौदाबाजार	134439	115971	49%	18468	52%
3	गरियाबंद	69968	46713	36%	23255	44%
4	महासमुन्द	122411	86299	33%	36112	41%
5	धमतरी	163934	103359	72%	60575	76%
6	दुर्ग	151367	106897	72%	44470	72%
7	बालोद	134268	96564	54%	37704	56%
8	बेमेतरा	218714	110378	49%	108336	55%
9	राजनांदगांव	175389	109482	30%	65907	32%
10	कबीरधाम	154186	95942	51%	58244	50%
11	बस्तर	9572	9572	6%	0	6%
12	कोंडागांव	9040	9040	6%	0	6%
13	नारायणपुर	247	247	1%	0	1%
14	कांकेर	41627	26984	15%	14643	20%
15	दन्तेवाड़ा	189	189	0%	0	0%
16	सुकमा	649	644	1%	5	1%
17	बीजापुर	3490	3490	5%	0	5%
18	बिलासपुर	111393	91100	52%	20293	56%
19	मुंगेली	7341	4782	4%	2559	3%
20	जाजगीर	97815	78314	61%	19501	44%
21	कोरबा	244312	244312	93%	0	84%
22	सरगुजा	8010	8010	7%	0	6%
23	बलरामपुर	59826	52262	21%	7564	21%
24	सूरजपुर	17805	16717	11%	1088	10%
25	कोरिया	15207	13665	9%	1542	8%
26	रायगढ़	18062	14977	10%	3085	11%
27	जशपुर	6630	5888	6%	742	6%
28	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	11456	11211	5%	245	5%
योग राज्य		2140744	1598954	35%	541790	37%

स्रोत : आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ़